

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,  
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

**INDEX**

**IN**

**RESPONSE AFFIDAVIT**

On behalf of the Respondent No. 4

(In Compliance with the Hon'ble Tribunal's Order dated 17.12.2024)

In Original Application No. 1350 of 2024

Naresh Kumar

Applicant(s)

Versus

State of Uttarakhand

Respondent(s)

<b>S.NO.</b>	<b>Particulars</b>	<b>Pg. No.</b>
1.	Index	1-1
2.	Response Affidavit	2-4
3.	Annexure No.1: Joint Inspection report with Annexure 1 to 12	5-68

Place: New Delhi

Dated: 18/02/2025

Filed by



Deepak Bora  
Advocate

Counsel for the State of Uttarakhand  
17, New Lawyers Chambers,  
Setalvad Block,  
Supreme Court of India,  
New Delhi 110001  
9971578987



**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,  
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

**INDEX**

IN

**RESPONSE AFFIDAVIT**

On behalf of the Respondent No. 3

(In Compliance with the Hon'ble Tribunal's Order dated 17.12.2024)

In Original Application No. 1350 of 2024


Naresh Kumar

Applicant(s)

Versus

State of Uttarakhand

Respondent(s)



*SN 840  
19/12/24*


Affidavit of Mr. Tejpal Singh  
S/o Shri Khushal Lal  
presently posted as District/  
Chief Horticulture Officer,  
Haridwar, Uttarakhand.

*(DEPONENT)*

I, the above-named deponent, do hereby solemnly affirm and State:

1. That the deponent is presently posted as District Horticulture Officer, Haridwar, Uttarakhand and was one of the members of the joint committee which was duly authorized by the District Magistrate, Haridwar to file the joint report in the present matter.

2. That on 17.12.2024, during the course of hearing in the present matter, this Hon'ble Tribunal was pleased to issue inter alia followings directions:



*In view of the averments in the application, we consider it appropriate to have response of (i) State of Uttarakhand through Principal Secretary Environment and Forest; (ii) PCCF (HOFF), Uttarakhand; (iii) District Magistrate, Haridwar; (iv) District Horticulture Officer, Haridwar; (v) Uttarakhand Pollution Control*

*(Signature)*

Board (UKPCB), (vi) Sahara India Ltd. Village Bahadrabad, Tehsil and District, Haridwar, (vii) Chirayu Estate, Village Bahadrabad, Tehsil and District, Haridwar (viii) Deepika Tyagi resident of 01, Mayur Vihar Colony, Arya Nagar, Jwalapur, Tehsil and District Haridwar, Uttarakhand, (ix) Abhishek Tyagi, resident of 01, Mayur Vihar Colony, Arya Nagar, Jwalapur, Tehsil and District Haridwar, Uttarakhand who stand impleaded as respondents No 1 to 9.

5. The Registry is directed to prepare and attach memo of parties to the application and issue notices to respondents No. 1 to 9 requiring them to file their reply/response at least one week before the next date of hearing fixed

That in compliance of order passed by the Hon'ble Tribunal, Joint Committee comprising of following official was constituted:


- i) Sub Divisional Magistrate, Haridwar - Chairman  
 ii) District Horticulture Officer, Haridwar-Member  
 iii) Regional Officer, UKPCB, Roorkee - Member

That the Joint Committee visited the site on 16.01.2024 and submitted Joint Report with relevant annexures. Copy of Joint Report is enclosed herewith as ANNEXURE NO. 1 with this Response affidavit.

5. That the deponent is a responsible Government servant having the highest regard for the Hon'ble Tribunal and orders passed by them. The deponent has always made his sincerest efforts to carry out the orders passed by this Hon'ble Tribunal in its letter and spirit and shall continue to do so in the future.

  
 DEPONENT


I, \_\_\_\_\_ do hereby identify the deponent who has produced the records of the case before me and I am satisfied that he is the same person as alleged.

  
 INDENTIFIER

**CERTIFIED BY**  
 19/1/24  
**PANKAJ SHARMA**  
 ADVOCATE  
 Reg. No. U.P.-5748/2001  
 District & Sessions Court, Haridwar

Solemnly affirmed before me today, the      day of February, 2025 by the deponent who has been identified by the aforesaid person. I have satisfied myself by examining the deponent that he has understood the contents of this affidavit, which have been read over and explained to him.

NOTARY



**ATTESTED**  
*Nisha Sharma*  
**NISHA SHARMA**  
**NOTARY/ADVOCATE**  
**GOVT. OF UTTARAKHAND**  
**HARIDWAR**

## निरीक्षण आख्या

मा० एन०जी०टी० द्वारा मूल आवेदन सं०-1350/2024 नरेश कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 17.12.2024 के अनुपालन में जिलाधिकारी, हरिद्वार द्वारा जांच समिति की निरीक्षण आख्या।

मा० एन०जी०टी० द्वारा मूल आवेदन सं०-1350/2024 नरेश कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य में दिनांक 17.12.2024 को निम्नलिखित निर्देश निर्गत किये गये हैं:-

"4. In view of the averments in the application, we consider it appropriate to have response of (i) State of Uttarakhand through Principal Secretary Environment and Forest; (ii) PCCF (HOFF), Uttarakhand; (iii) District Magistrate, Haridwar; (iv) District Horticulture Officer, Haridwar; (v) Uttarakhand Pollution Control Board (UKPCB), (vi) Sahara India Ltd. Village Bahadrabad, Tehsil and District Haridwar, (vii) Chairayu Estate, Village Bahadrabad, Tehsil and District, Haridwar (viii) Deepika Tyagi resident of 01, Mayur Vihar Colony, Arya Nagar, Jawalapur, Tehsil and District Haridwar, Uttarakhand (ix) Abhishek Tyagi, resident of 01, Mayur Vihar Colony, Arya nagar, jawalapur, Tehsil and District Haridwar, Uttarakhand who stand impleaded as respondents No. 1 to 9.

5. The registry is directed to prepare and attach memo of parties to the application and issue notices to respondents No. 1 to 9 requiring them to file their reply/response at least one weeks before the next date of hearing fixed."

मा० एन०जी०टी० द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में जिलाधिकारी, हरिद्वार द्वारा निम्नानुसार जांच समिति का गठन किया गया:-

1. उपजिलाधिकारी, हरिद्वार- अध्यक्ष।
2. मुख्य उद्यान अधिकारी - सदस्य।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रुड़की - सदस्य।

उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में जांच समिति द्वारा दिनांक 16.01.2025 को विषयगत स्थल का निरीक्षण किया गया। उप जिलाधिकारी, हरिद्वार के पत्र दिनांक 09.01.2025 के अनुपालन में तहसील, हरिद्वार द्वारा अपनी आख्या प्रेषित की गयी। निरीक्षण एवं उपलब्ध अभिलेखों के दृष्टिगत आख्या निम्नवत है:-

विषयगत शिकायती प्रकरण में मुख्यतः निम्नलिखित भूमि धारकों क्रमशः 1. मै० चिरायु स्टेट एण्ड डेवलपमेंट प्रा० लि० एवं अन्य, 2. श्री अभिषेक त्यागी पुत्र श्री सतीश त्यागी, निवासी-मयूर विहार, आर्यनगर, ज्वालापुर, तहसील एवं जिला हरिद्वार एवं 3. श्रीमती दीपिका त्यागी पत्नी श्री मुदित कुमार त्यागी, निवासी-01, निकट सोन्धी नर्सिंग होम, मयूर विहार, आर्यनगर ज्वालापुर, तहसील एवं जिला हरिद्वार से सम्बन्धित है। खाताधारकों के अनुसार विवरण निम्नवत् है:-

1. मै० चिरायु स्टेट एण्ड डेवलपमेंट प्रा० लि० एवं अन्य:


- i. उद्घरण खसरा दिनांक 02.05.2022 के अनुसार मै० चिरायु स्टेट एण्ड डेवलपमेंट प्रा० लि० के खसरा न०-286, 319/2, 320 एवं 321 मै० चिरायु स्टेट एण्ड डेवलपमेंट प्रा० लि० से सम्बन्धित है जिसमें खसरा सं०-286 में 18 आम के पेड, खसरा सं०-319/2 में 30 आम

के पेड़, खसरा सं०-320 में पांच आम के पेड़ तथा खसरा सं०-321 में 30 आम के पेड़ दर्ज थे। इस प्रकार उक्त भूमि में कुल-83 आम के पेड़ थे। (संलग्नक-1)।

- ii. उपरोक्त खसरा नम्बरान के 83 आम के पेड़ों के अवैध कटान के सम्बन्ध में श्री ए०एस० बिष्ट, निवासी एफ-102, लक्ष्मी पार्क, नागलोई, दिल्ली (अधिकृत प्रतिनिधि) द्वारा दिनांक शून्य को प्रभारी उद्यान सचल दल केन्द्र, बहादुराबाद को इस आशय का पत्र प्रेषित किया गया कि मै० चिरायु स्टेट एण्ड डेवलपमेंट प्रा० लि० एवं अन्य की भूमि से ठेकेदार को रोगग्रस्त आम के 2-3 पेड़ हटाने को कहा गया था। किन्तु ठेकेदार द्वारा मेरी अनुपस्थिति में आम के पेड़ों का पातन कर दिया गया। (संलग्नक-2)।
- iii. प्रभारी उद्यान सचल दल केन्द्र, बहादुराबाद द्वारा पत्र में इस आशय कि टिप्पणी की गयी कि प्रकरण में कुल-83 आम के वृक्षों का पातन किया गया है। अतः रू० 5,000 प्रति वृक्ष की दर से रू० 4,15,000/- जमा करने की संस्तुति की गयी। उक्त क्रम में मुख्य उद्यान अधिकारी, हरिद्वार द्वारा अपने पत्र सं०-267/अवैध पातन/2022-23 हरिद्वार दिनांक 06.05.2022 द्वारा श्री ए०एस० बिष्ट, निवासी एफ-102, लक्ष्मी पार्क, नागलोई, दिल्ली के विरुद्ध 83 वृक्षों के पातन पर रू० 5000 प्रति वृक्ष की दर से रू० 4,15,000/- का अर्थदण्ड आरोपित किया गया। (संलग्नक-3)।
- iv. श्री ए०एस० बिष्ट आरोपित अर्थदण्ड की राशि रू० 4,15,000/- दिनांक 06.05.2022 को उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग में जमा की गयी। (संलग्नक-4)।
- v. विषयगत स्थल पर वर्तमान में कोई पेड़ नहीं पाया गया।
- vi. उद्घरण खसरा दिनांक 16.08.2024 के अनुसार मै० चिरायु स्टेट एण्ड डेवलपमेंट प्रा० लि०के खसरा सं०-330 में कुल-22 आम के पेड़ दर्ज हैं। श्री महावीर प्रसाद पुत्र श्री राजाराम, निवासी गौरीवाला सिरसा, हरियाणा अधिकृत प्रतिनिधि मै० चिरायु स्टेट एण्ड डेवलपमेंट प्रा० लि० द्वारा दिनांक 09.10.2024 को मुख्य जिला उद्यान अधिकारी, हरिद्वार से 22 आम के पेड़ों को कटवाने की अनुमति चाही गयी। मुख्य उद्यान अधिकारी, हरिद्वार द्वारा अपने पत्र दिनांक 10.12.2024 द्वारा श्री महावीर प्रसाद को 22 आम के पेड़ों के पातन की अनुमति प्रदान की गयी। (संलग्नक-5)।
- vii. मै० चिरायु स्टेट एवं अन्य खातेदार के खसरा सं०-341 एवं 370 में आम बाग स्थित है तथा खसरा सं०-316, 317, 342 एवं 364 एवं 365 में वृक्ष अंकित नहीं हैं। (संलग्नक-6)। उद्घरण खसरा दिनांक 02.05.2022 के अनुसार खसरा सं०-318 में वृक्ष नहीं थे।

2. श्री अभिषेक त्यागी पुत्र श्री सतीश त्यागी, निकट सोन्धी नर्सिंग होम, निवासी-मयूर विहार, आर्यनगर, ज्वालापुर, तहसील एवं जिला हरिद्वार:

- i. उद्घरण खसरा दिनांक 16.08.2024 के अनुसार खसरा सं०-325/2 के खातेदार श्री अभिषेक त्यागी के खेत में 60 आम के पेड़ तथा 08 सेमल के पेड़ थे। श्री अभिषेक त्यागी द्वारा दिनांक 21.09.2024 को मुख्य जिला उद्यान अधिकारी, हरिद्वार से खसरा न०-325/2 में लगे 60 आम के पेड़ों को कटवाने की अनुमति चाही गयी। प्रभारी उद्यान सचल दल केन्द्र, बहादुराबाद की संस्तुति के क्रम में मुख्य उद्यान अधिकारी, हरिद्वार द्वारा




आदेश दिनांक 08.10.2024 द्वारा मात्र 55 आम के पेड़ों के पातन की अनुमति निर्गत की गयी। (संलग्नक-7)।

- ii. श्री अभिषेक त्यागी द्वारा प्रभारी उद्यान सचल दल, बहादुराबाद को अपने पत्र दिनांक 18.10.2024 द्वारा अवगत कराया गया कि अनुमन्य वृक्षों के पातन करते समय 05 वृक्ष टूट गये थे, जिस कारण उन वृक्षों का प्रार्थी द्वारा पातन करना पड़ा तथा जुर्माना जमा करने में सहमति व्यक्त की गयी। उक्त क्रम में मुख्य उद्यान अधिकारी, हरिद्वार द्वारा अपने आदेश दिनांक 27.10.2024 द्वारा श्री अभिषेक त्यागी के विरुद्ध 05 आम के वृक्षों के पातन पर रू0 5,000/- प्रति वृक्ष की दर से कुल धनराशि रू0 25,000/- का अर्थदण्ड आरोपित किया गया। श्री अभिषेक त्यागी द्वारा दिनांक 28.10.2024 को रू0 25,000/- का अर्थदण्ड जमा किया गया। (संलग्नक-8)।
  - iii. प्रभागीय वनाधिकारी, हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार द्वारा पातन अनुज्ञा दिनांक 20.12.2024 द्वारा श्री अभिषेक त्यागी को खसरा सं0-325/2 में खड़े 08 सेमल के वृक्षों में से 05 सेमल के हरे वृक्षों के पातन की अनुमति प्रदान की गयी। खसरा सं0-325/2 के शेष 03 सेमल के वृक्षों के अवैध पातन के सम्बन्ध में श्री अभिषेक त्यागी द्वारा श्री नसिम पुत्र श्री अजीज निवासी ग्राम-महमूदपुर, पिरान कलियर, हरिद्वार के विरुद्ध थाना बहादुराबाद में शिकायत दर्ज की गयी। (संलग्नक-9)।
  - iv. वर्तमान में उपरोक्त खसरा सं0 में कोई पेड़ नहीं पाया गया।
3. श्रीमती दीपिका त्यागी पत्नी श्री मुदित कुमार त्यागी, निवासी-01, निकट सोन्धी नर्सिंग होम, मयूर विहार, आर्यनगर ज्वालापुर, तहसील एवं जिला हरिद्वार:
- i. उद्घरण खसरा दिनांक 16.08.2024 के अनुसार श्रीमती दीपिका त्यागी खातेदार के खसरा सं0-335/1 में आम के 12 पेड़ एवं सेमल का 01 पेड़ तथा खसरा सं0-335/2 में 13 आम के पेड़ दर्ज थे। श्रीमती दीपिका त्यागी द्वारा दिनांक 09.10.2024 को मुख्य जिला उद्यान अधिकारी, हरिद्वार से खसरा सं0-335/1 तथा 325/2 में स्थित कुल-25 आम के पेड़ों को कटवाने की अनुमति चाही गयी। मुख्य उद्यान अधिकारी, हरिद्वार द्वारा आदेश दिनांक 10.12.2024 द्वारा श्रीमती दीपिका त्यागी द्वारा 25 आम के वृक्षों के पातन की अनुमति प्रदान की गयी। (संलग्नक-10)।
  - ii. प्रभागीय वनाधिकारी, हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार द्वारा पातन अनुज्ञा पत्र सं0-3114/23-3, हरिद्वार दिनांक 20.12.2024 द्वारा श्रीमती दीपिका त्यागी को खसरा सं0-335/1 में खड़े 01 सेमल के हरे पेड़ के पातन की अनुमति प्रदान की गयी। (संलग्नक-11)।
  - iii. वर्तमान में उपरोक्त खसरा नम्बरान में कोई वृक्ष नहीं पाया गया।

## निष्कर्ष:

1. मै0 चिरायु स्टेट एण्ड डेवलपमेंट प्रा0 लि0 एवं अन्य द्वारा 83 आम के पेड़ों का अवैध पातन किया गया। सम्बन्धित विभाग द्वारा नियमानुसार अवैध पातन के विरुद्ध नियमानुसार रू0 5000/- प्रति वृक्ष की दर से रू0 4,15,000/- का अर्थदण्ड आरोपित किया गया जिसे श्री ए0एस0 बिष्ट अधिकृत प्रतिनिधि मै0 मै0 चिरायु स्टेट एण्ड डेवलपमेंट प्रा0 लि0 द्वारा उद्यान विभाग, हरिद्वार में जमा किया गया। खसरा सं0-330 के कुल-22 आम के पेड़ों का पातन मुख्य जिला उद्यान अधिकारी, हरिद्वार की अनुमति से किया गया। खातेदार के खसरा सं0-341 एवं 370 में आम बाग स्थित है तथा खसरा सं0-316, 317, 342 एवं 364 एवं 365 में वृक्ष अंकित नहीं हैं। उद्धरण खसरा दिनांक 02.05.2022 के अनुसार खसरा सं0-318 में वृक्ष नहीं थे।
2. श्री अभिषेक त्यागी द्वारा 55 आम के पेड़ों का पातन मुख्य जिला उद्यान अधिकारी, हरिद्वार की अनुमति से किया गया। 05 आम के पेड़ों के अवैध पातन के विरुद्ध मुख्य उद्यान अधिकारी, हरिद्वार द्वारा नियमानुसार रू0 5000/- प्रति वृक्ष की दर से रू0 25,000/- का अर्थदण्ड आरोपित किया गया जिसे श्री अभिषेक त्यागी द्वारा उद्यान विभाग, हरिद्वार में जमा किया गया। श्री अभिषेक त्यागी द्वारा 05 सेमल के वृक्षों का पातन प्रभागीय वनाधिकारी, हरिद्वार की अनुमति से किया गया जबकि 03 सेमल के वृक्षों के अवैध पातन के विरुद्ध खातेदार द्वारा थाना बहादुराबाद में शिकायत दर्ज की गयी।
3. श्रीमती दीपिका त्यागीद्वारा 25 आम के वृक्षों का पातन जिला उद्यान अधिकारी, हरिद्वार की अनुमति से किया गया तथा 01 सेमल के वृक्ष का पातन प्रभागीय वनाधिकारी, हरिद्वार की अनुमति से किया गया।
4. श्री नरेश कुमार, सह सचिव, भारत माता अभिनन्दन संगठन, उत्तराखण्ड एवं श्री सुनील कुमार चौहान, भारत माता अभिनन्दन संगठन, बहादुराबाद द्वारा समय-समय पर आम के वृक्षों के अवैध पातन तथा कैमिकल स्प्रे के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों पर उद्यान विभाग द्वारा समय-समय पर यथोचित कार्यवाही की गयी तथा अवैध पातन के मामलों में नियमानुसार अर्थदण्ड आरोपित किया गया है। याची श्री नरेश कुमार द्वारा 2000 पेड़ों के अवैध पातन की संख्या सम्बन्धी शिकायत अनुमानित एवं साक्ष्यहीन है। (संलग्नक-12)।

उपरोक्तानुसार जांच समिति की आख्या अवलोकनार्थ सादर प्रस्तुत है।

क्षेत्रीय अधिकारी  
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण  
बोर्ड, रुड़की।

जिला उद्यान अधिकारी  
हरिद्वार।

उप जिला अधिकारी  
हरिद्वार।

# उद्धरण खसरा

नकल खसरा ग्राम ..... बंधादादाबाद ..... परगना ..... ज्वालामपुर ..... तहसील हरिद्वार ..... जिला हरिद्वार सन् १४२२ सन फसली सम्बन्धी

खेत की संख्या	खेतों की संख्या	खतोनी के भाग 1 के वर्गीकरण के अनुसार खातेदार का नाम	खतोनी के भाग 1 के वर्गीकरण के अनुसार खातेदार का नाम (परि कोई हो)	खतोनी के भाग 1 के वर्गीकरण के अनुसार खातेदार का नाम (परि कोई हो)	खिर्वाई का स्थान	क्षेत्रफल						दो फसली क्षेत्रफल		अकृषिक भूमि		खेत के पूरे बड़े हुए पेड़ों की संख्या	विवरण			
						खरीफ	रबी	जायद	असिधित	असिधित	असिधित	असिधित	असिधित	असिधित	असिधित			असिधित	असिधित	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
225	१.४३६	६६	चिरागु इस्टे आरपी फ.००																	
226	०.६२०	६६	चिरागु इस्टे आरपी फ.००																	
227	०.२३६	६६	चिरागु इस्टे आरपी फ.००																	
228	१.६४८	६८	चिरागु इस्टे आरपी फ.००																	
229	२.११०	६८	चिरागु इस्टे आरपी फ.००																	
230	१.४२४	६८	चिरागु इस्टे आरपी फ.००																	
231																				
232	०.९६४	६८	राफ चन्द																	

प्राप्ति स्थान : सरस्वती स्टेशन एण्ड काइस, ज्वालामपुर, हरिद्वार

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including names like 'राफ चन्द' and 'चिरागु इस्टे'.

## Annexure - 2

सेवा में,  
प्रभारी उद्यान सचल दल  
केन्द्र बहादुराबाद

महोदय,  
आपको अवगत कराना है कि चिरायुइस्टेट एण्ड डेवलपमेंट प्रा०लि०/सायरस इस्टेट एण्ड रीयलिटी प्रा०लि०/दीपिशा रीयलिटी एण्ड लीजिंग प्रा०लि०/धनन्जय इस्टेट एण्ड रीयलिटी प्रा०लि०/देवदत्त इस्टेट एण्ड इन्वेस्टमेंट प्रा०लि०/ धर्मवीर डेवलपमेंट एण्ड रीयलिटी प्रा०लि०/ दत्तात्रेया इस्टेट एण्ड रीयलिटी प्रा०लि०/सहारा इण्डिया/ए०एस० बिष्ट जमीन पर आम बाग स्थित बहादुराबाद से ठेकेदार को रोग ग्रस्त एवं सूखे दो से तीन पेड़ों को हटाने के लिए कहा गया था परन्तु ठेकेदार के द्वारा मेरी अनुपस्थिति में आम के वृक्षों का भी पातन कर दिया गया है जिसकी हमें जानकारी नहीं थी। अतः महोदय से निवेदन है कि उक्त पातान किये गये पेड़ों का अर्थदण्ड/जुर्माना जमा करा कर उक्त प्रकरण यहीं समाप्त करने की कृपा करें तथा भविष्य में इस प्रकार की पुनर्वृत्ती नहीं की जाएगी।

प्रकरण  
उक्त के सम्बन्ध में अर्धदण्ड  
पत्र का क्र. ५४५०००-५०००-००  
की दर से कुल ४३ आम वृक्षों का  
कुल अर्थदण्ड ₹ ४३ × ५००० = ५४५०००-००  
द्वारा लाभ प्राप्त हुआ।  
कारने की संस्तुति की जा रही है।

प्रभारी  
उद्यान सचल दल  
बहादुराबाद



निवेदक

ए०एस० बिष्ट

निवासी-एफ.102

लक्ष्मीपार्क नांगलोई

दिल्ली-110041

Mobile: 9837100431  
9412998687

## अर्थ दण्ड आदेश

श्री ए0 एस0 बिष्ट निवासी एफ-102 लक्ष्मीपार्क नागलोई दिल्ली मौजा स्थित बहादरावाद जिला हरिद्वार द्वारा बिना विभाग की अनुमति के अपने बाग से 83 जीवित आम वृक्षों का पातन किये जाने पर की गई विभागीय कार्यवाही में दोषी पाये गये, उक्त जीवित वृक्षों को सक्षम प्राधिकारी की लिखित अनुज्ञा के अभाव में पातन किया गया है, जो कि भारतीय वन (उत्तरांचल संशोधन) संरक्षण अधिनियम की धारा 42 की उपधारा (1) का स्पष्ट उल्लंघन है।

अतः अधिनियम के उल्लंघन का दोषी पाये जाने पर मैं मुख्य उद्यान अधिकारी, हरिद्वार शासनादेश संख्या 927/IX-3-2012 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री ए0 एस0 बिष्ट निवासी एफ-102 लक्ष्मीपार्क नागलोई दिल्ली मौजा स्थित बहादरावाद के विरुद्ध 83 जीवित वृक्षों के पातन पर रू0, 5000.00 प्रति वृक्ष की दर से कुल धनराशि रू0, 415000.00 (चार लाख पन्द्रह हजार) का अर्थ दण्ड निर्धारित करते हुये उन्हे निर्देशित करता हूँ कि वे तत्काल रू0 415000.00 (चार लाख पन्द्रह हजार) मात्र रोकडिया कार्यालय मुख्य उद्यान अधिकारी कमरा न0-78 विकास भवन, रोशनाबाद में जमा करना सुनिश्चित करें।



(नरेन्द्र कुमार यादव)  
मुख्य उद्यान अधिकारी,  
हरिद्वार

कार्यालय मुख्य उद्यान अधिकारी हरिद्वार

पत्रांक 267 / अवैध पातन / 2022-23 दिनांक हरिद्वार 06-05-2022

प्रतिलिपि:-1- श्री ए0 एस0 बिष्ट निवासी एफ-102 लक्ष्मीपार्क नागलोई दिल्ली मौजा स्थित बहादरावाद जिला हरिद्वार को उपरोक्तानुसार अनुपलनार्थ।

2- रोकडिया मुख्यालय को इस निर्देश के साथ कि रू0 415000.00 (चार लाख पन्द्रह हजार) मात्र श्री ए0 एस0 बिष्ट निवासी एफ-102 लक्ष्मीपार्क नागलोई दिल्ली मौजा स्थित बहादरावाद जिला हरिद्वार से प्राप्त कर विभागीय कैश रसीद उपलब्ध कराते हुये धनराशि विभागीय लेखाशीर्षक में जमा करना सुनिश्चित करें

3- प्रभारी उद्यान सचल दल केन्द्र बहादरावाद

4- थाना प्रभारी बहादराबाद हरिद्वार



मुख्य उद्यान अधिकारी,  
हरिद्वार



**उद्धरण खसरा**

ग्राम ..... परगना ..... तहसील ..... जिला हरिद्वार ..... १४३२ सन् फसली सम्बन्धी

खसरा की संख्या	संयोजक संकेत संख्या	खसरी की संख्या	खसरी के माग 1 के वर्गीकरण के अनुसार खातेदार का नाम	खसरी के माग 2 के वर्गीकरण के अनुसार खातेदार का नाम	खसरी के क्षेत्र का नाम	कृषिक (फसल वाली) भूमि का क्षेत्रफल						दो फसली क्षेत्रफल	मिलान खसरा सगनों के अकृषिक (बिनाफसल वाली) भूमि का ब्यौरा	प्रत्येक खेत के पुरे वृद्धों की संख्या और किस्म	टिप्पणी					
						खसरी क्षेत्रफल	रबी क्षेत्रफल	जायद क्षेत्रफल	खसरी क्षेत्रफल	खसरी क्षेत्रफल	खसरी क्षेत्रफल					खसरी क्षेत्रफल	खसरी क्षेत्रफल			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
330	0.592	46	निवापुर इन्डस्ट्रियल आरक्षित	खसरी के माग 2 के वर्गीकरण के अनुसार खातेदार का नाम	खसरी के क्षेत्र का नाम	असिध	असिध	असिध	असिध	असिध	असिध	असिध	असिध	असिध	असिध	असिध	असिध	असिध	असिध	असिध
	0.624																			
	0.936																			

प्राप्ति स्थान : सरस्वती सफाई एजेंसी (स्टेशनर्स एवं प्रिन्टर्स), अनाज का गोदाम के सामने ज्वालपुर, हरिद्वार 249407 फोन : 7055456463

सेवा में,

श्री मान मुख्या जिला उद्यान अधिकारी महोदय, हरिद्वार।  
जिला- हरिद्वार।

श्री मान जी,

निवेदन यह है कि खाता खतौनी नम्बर- 67, के खसारा नम्बर 330 रकबई- 0.512 है 0 स्थित मौजा- बहाधराबाद, परगना ज्वालापुर, तहसील व जिला हरिद्वार को मुक्त्या रेआम नियुक्त किया हुआ है जिसकी पावर आफ आटर्नी की फोटो कापी साथ में संलग्न है इसलिए प्रार्थी को उक्त सम्पत्ति की बावत अधिकार प्राप्त चले आते है। श्री मान जी उक्त सम्पत्ति में 22 पेड आम के खडे हुए है जो कि बहुत अधिक पुराने है और अधिक पुराने होने के कारण ना तो फसल देते हैं और बीमार भी होने लगे है इसलिए हम उक्त सम्पत्ति से पूर्णतया लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहे है जिस कारण से प्रार्थी उपरोक्त 22 पेड आम के कटवाकर उनके स्थान पर नई किस्म के अच्छे पेड लगाना चाहता है जिसके लिए माननीय महोदय की अनुमति की आवश्यकता है जो कि प्रदान की जानी आवश्यक है।

अतः श्री मान जी से प्रार्थना है कि उपरोक्त तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए प्रार्थी को उपरोक्त 22 पेड आम के कटवाने व उनके स्थान पर नई किस्म के अच्छे पेड लगाने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करे, आपकी अति कृपा होगी।

दिनांक- 09/10/2024

प्रार्थी

Mahaveer

महावीर प्रसाद पुत्र श्री रोजाराम  
निवासी- गौरीवाला सिरसा हरियाणा।



सत्यमेव जयते



INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttarakhand

e-Stamp

Certificate No.	: IN-UK50046795598059W
Certificate Issued Date	: 09-Oct-2024 10:19 AM
Account Reference	: NONAGC (SV)/ uk1304904/ ROSHNABAD/ UK-HD
Unique Doc. Reference	: SUBIN-UKUK130490407111880838636W
Purchased by	: MAHAVEER PRASHAD
Description of Document	: Article 4 Affidavit
Property Description	: NA
Consideration Price (Rs.)	: 0 (Zero)
First Party	: MAHAVEER PRASHAD
Second Party	: SHAKSHAM ADHIKARI
Stamp Duty Paid By	: MAHAVEER PRASHAD
Stamp Duty Amount(Rs.)	: 10 (Ten only)



अभिषेक कुमार, की. नं. 252/18  
स्टाम्प विभाग रोशनबाद, हरिद्वार



13032  
महेश्वर



सम्पत्ति:- श्री मान मुख्य जिला उद्यान अधिकारी महोदय, हरिद्वार।

सम्पन्न मितजानिव:- महावीर प्रसाद पुत्र श्री राजाराम निवासी- गौरीवाला  
सिरसा हरियाणा।

ये सम्पत्तपूर्वक निम्न कथन करता हूँ कि:-

१। यह कि येरा उपरोक्त नाम स्व पता सबसच व सही है।

Mahaveer

Statutory Alert

The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at [www.StampStamp1911](http://www.StampStamp1911) or using the Stamp Mobile App of State Emblem of India. For details on the Certificate and its validity on the website, Mobile App numbers if available.

॥२॥

॥२॥ यहकि खाता खतौनी नम्बर- 67 के खसरा नम्बर- 330 रकबई- 0.512  
है 0 स्थित मौजा- बहादुराबाद, परगना ज्वालापुर, तहसील व जिला हरिद्वार  
की बावत शस्यकर्ता को सुखत्यारेआम नियुक्त किया हुआ है इसलिए शस्यकर्ता  
को उक्त सम्पत्ति की बावत अधिकार प्राप्त चले आते है।

॥३॥ यहकि उपरोक्त सम्पत्ति मे 22 पेड आम के खडे हुए है जो कि बहुत ही  
पुराने है इसलिए फसल नही देते है जिस कारण से हम अपनी सम्पत्ति से पूर्णतया  
लाभान्वित नही हो पाते है इसलिए शस्यकर्ता उक्त 22 पेड आम के कटवाकर  
उनके स्थान पर नई किस्म के अच्छे पेड लगाना चाहता है जिसके लिए अनुमति  
प्रदान की जानी आवश्यक है।

यहकि शस्यत्र का कुल कथन सत्य व सही है कोई तथ्य छिपाया नही  
गया है और ना ही झूठ बोला गया है ईश्वर सच बोलने मे मेरी मददकरे।

दिनांक- 09/10/2024

हो शस्यकर्ता

Mahaveer

प्रमाणित  
09/10/24

09/10/24

हो शस्यकर्ता

Mahaveer

**CHIRAAJU ESTATE AND DEVELOPMENT PRIVATE LIMITED**  
 Regd. Office- 9th Floor, 97-98, Atlanta Building, Nariman Point, Mumbai- 400021  
 CIN- U70100MH1996PTC103725 **Emails-** cedpl.statutory@sahara.in

**EXTRACT FROM THE MINUTES OF MEETING OF BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY HELD ON WEDNESDAY 01<sup>st</sup> JUNE 2022 AT SAHARA INDIA BHAWAN, 1 KAPOORTHALA COMPLEX, ALIGANJ, LUCKNOW**

**AUTHORITY TO SHRI MAHAVIR PARSHAD AND/OR SHRI AJEET KUMAR SRIVASTAVA FOR SALE OF LAND SITUATED AT VILLAGE - BAHADARABAD, RANIPUR, PARGANA - JWALAPUR, TEHSIL & DISTRICT - HARIDWAR, UTTARAKHAND**

“RESOLVED THAT Shri Mahavir Parshad S/o Shri Raja Ram, R/o H.No. 50, Ward No. 2-B Biswa, Gurgaon, Haryana-122001 and/or Shri Ajeet Kumar Srivastava S/o Late Sri Hira Lal Srivastava, R/o V-14, Vinayakpuram Near Vin Palace Sector 12 Vikash Nagar Lucknow-226022, be and are hereby authorized to sell the land situated at Village - Bahadarabad, Ranipur, Pargana - Jwalapur, Tehsil & District - Haridwar, Uttarakhand belonging to the company and deal, negotiate with various interested parties and to finalize and execute/sign M.O.U., Agreements and Sale Deed(s) for the purpose of sale of such land belonging to the company and to do such other acts as may be required on behalf of the Company for the said purpose.

RESOLVED FURTHER THAT aforesaid Shri Mahavir Parshad and/or Ajeet Kumar Srivastava be and are hereby authorized to execute/sign and verify such other necessary document(s) as may be required and to appear on the behalf of the Company before the Registrar / Sub-Registrar or any other Registering Authority, for Registration of Sale Deed(s) and to do all such other acts and deed which may be required from time to time pertaining to the legal proceedings on behalf the Company.”

For CHIRAAJU ESTATE AND DEVELOPMENT PRIVATE LIMITED

  
 (HARINDRA PAL KUMAR)  
 Director  
 DIN: 00181103



CYRUS ESTATE AND REALITY PRIVATE LIMITED  
 Regd. Office: Sahara India Point, CTS 40 & 44, S V Road, Goregnon West, Mumbai-400104  
 CIN: U45200MH1996PTC104168E-MAIL: ccrpl.statutory@sahara.in

EXTRACT FROM THE MINUTES OF THE MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY HELD ON WEDNESDAY, 06TH JULY, 2022 AT SAHARA INDIA BHAWAN, 1, KAPOORTHALA COMPLEX, ALIGANJ, LUCKNOW-226024

AUTHORITY TO SHRI MAHAVIR PARSHAD AND/OR SHRI AJEET KUMAR SRIVASTAVA FOR SALE OF LAND SITUATED AT VILLAGE - BAHADARABAD, RANIPUR, PARGANA - JWALAPUR, TEHSIL & DISTRICT - HARIDWAR, UTTARAKHAND

"RESOLVED THAT Shri Mahavir Parshad S/o Shri Raja Ram, R/o H.No. 50, Ward No. 2-B Biswa, Gurgaon, Haryana-122001 and/or Shri Ajeet Kumar Srivastava S/o Late Sri Hira Lal Srivastava, R/o V-14, Vinayakpuram Near Vin Palace Sector 12 Vikash Nagar Lucknow-226022, be and are hereby authorized to sell the land situated at Village - Bahadarabad, Ranipur, Pargana - Jwalapur, Tehsil & District - Haridwar, Uttarakhand belonging to the company and deal, negotiate with various interested parties and to finalize and execute/sign M.O.U., Agreements and Sale Deed(s) for the purpose of sale of such land belonging to the company and to do such other acts as may be required on behalf of the Company for the said purpose.

RESOLVED FURTHER THAT aforesaid Shri Mahavir Parshad and/or Ajeet Kumar Srivastava be and are hereby authorized to execute/sign and verify such other necessary document(s) as may be required and to appear on the behalf of the Company before the Registrar / Sub-Registrar or any other Registering Authority, for Registration of Sale Deed(s) and to do all such other acts and deed which may be required from time to time pertaining to the legal proceedings on behalf the Company."

FOR CYRUS ESTATE AND REALITY PRIVATE LIMITED

*Harindra*  
 (HARINDRA PAL KUMAR)  
 Director  
 DIN: 00181103

*Mahavir*

DEEPESHA REALITY AND LEASING PRIVATE LIMITED  
 Regd. Office: Sahara India Point, CTS 40 & 44, S V Road, Goregaon West, Mumbai-400104  
 CIN: U70100MH1996PTC103978E-MAIL: drlpl.statutory@sahara.in


EXTRACT FROM THE MINUTES OF THE MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY HELD ON WEDNESDAY, 06TH JULY, 2022 AT SAHARA INDIA BHAWAN, I, KAPOORTHALA COMPLEX, ALIGANJ, LUCKNOW-226024


AUTHORITY TO SHRI MAHAVIR PARSHAD AND/OR SHRI AJEET KUMAR SRIVASTAVA FOR SALE OF LAND SITUATED AT VILLAGE - BAHADARABAD, RANIPUR, PARGANA - JWALAPUR, TEHSIL & DISTRICT - HARIDWAR, UTTARAKHAND

"RESOLVED THAT Shri Mahavir Parshad S/o Shri Raja Ram, R/o H.No. 50, Ward No. 2-B Biswa, Gurgaon, Haryana-122001 and/or Shri Ajeet Kumar Srivastava S/o Late Sri Hira Lal Srivastava, R/o V-14, Vinayakpuram Near Vin Palace Sector 12 Vikash Nagar Lucknow-226022, be and are hereby authorized to sell the land situated at Village - Bahadarabad, Ranipur, Pargana - Jwalapur, Tehsil & District - Haridwar, Uttarakhand belonging to the company and deal, negotiate with various interested parties and to finalize and execute/sign M.O.U., Agreements and Sale Deed(s) for the purpose of sale of such land belonging to the company and to do such other acts as may be required on behalf of the Company for the said purpose.

RESOLVED FURTHER THAT aforesaid Shri Mahavir Parshad and/or Ajeet Kumar Srivastava be and are hereby authorized to execute/sign and verify such other necessary document(s) as may be required and to appear on the behalf of the Company before the Registrar / Sub-Registrar or any other Registering Authority, for Registration of Sale Deed(s) and to do all such other acts and deed which may be required from time to time pertaining to the legal proceedings on behalf the Company."

FOR DEEPESHA REALITY AND LEASING PRIVATE LIMITED

  
 (HARINDRA PAL KUMAR)  
 Director  
 DIN: 00181103



**DEVAPUTRA ESTATE AND INVESTMENT PRIVATE LIMITED**  
 Regd. Office- C-502, Lilac Garden, Charkop Mumbai- 400067  
 CIN- U70100MH1997PTC106709 Email- dcip1.statutory@sahara.in

**EXTRACT FROM THE MINUTES OF MEETING OF BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY HELD ON WEDNESDAY 01<sup>st</sup> JUNE 2022 AT SAHARA INDIA BHAWAN, 1 KAPOORTHALA COMPLEX, ALIGANJ, LUCKNOW**

**AUTHORITY TO SHRI MAHAVIR PARSHAD AND/OR SHRI AJEET KUMAR SRIVASTAVA FOR SALE OF LAND SITUATED AT VILLAGE - BAHADARABAD, RANIPUR, PARGANA - JWALAPUR, TEHSIL & DISTRICT - HARIDWAR, UTTARAKHAND**

"RESOLVED THAT Shri Mahavir Parshad S/o Shri Raja Ram, R/o H.No. 50, Ward No. 2-B Biswa, Gurgaon, Haryana-122001 and/or Shri Ajeet Kumar Srivastava S/o Late Sri Hira Lal Srivastava, R/o V-14, Vinayakpuram Near Vin Palace Sector 12 Vikash Nagar Lucknow-226022, be and are hereby authorized to sell the land situated at Village - Bahadarabad, Ranipur, Pargana - Jwalapur, Tehsil & District - Haridwar, Uttarakhand belonging to the company and deal, negotiate with various interested parties and to finalize and execute/sign M.O.U., Agreements and Sale Deed(s) for the purpose of sale of such land belonging to the company and to do such other acts as may be required on behalf of the Company for the said purpose.

RESOLVED FURTHER THAT aforesaid Shri Mahavir Parshad and/or Ajeet Kumar Srivastava be and are hereby authorized to execute/sign and verify such other necessary document(s) as may be required and to appear on the behalf of the Company before the Registrar / Sub-Registrar or any other Registering Authority, for Registration of Sale Deed(s) and to do all such other acts and deed which may be required from time to time pertaining to the legal proceedings on behalf the Company.

For DEVAPUTRA ESTATE AND INVESTMENT PRIVATE LIMITED

  
 (RAVI KUMAR)  
 Director  
 DIN: 08204272



**DHARMAVEER DEVELOPMENT AND REALITY PRIVATE LIMITED**  
 Regd. Office: Sahara India Point, CTS 40 & 44, S V Road, Goregaon West, Mumbai-400104  
 CIN: U70100MH1997PTC106712E-MAIL: ddrpl.statutory@sahara.in


**EXTRACT FROM THE MINUTES OF THE MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY HELD ON WEDNESDAY, 06TH JULY, 2022 AT SAHARA INDIA BHAWAN, 1, KAPOORTHALA COMPLEX, ALIGANJ, LUCKNOW-226024**

**AUTHORITY TO SHRI MAHAVIR PARSHAD AND/OR SHRI AJEET KUMAR SRIVASTAVA FOR SALE OF LAND SITUATED AT VILLAGE - BAHADARABAD, RANIPUR, PARGANA - JWALAPUR, TEHSIL & DISTRICT - HARIDWAR, UTTARAKHAND**

"RESOLVED THAT Shri Mahavir Parshad S/o Shri Raja Ram, R/o H.No. 50, Ward No. 2-B Biswa, Gurgaon, Haryana-122001 and/or Shri Ajeet Kumar Srivastava S/o Late Sri Hira Lal Srivastava, R/o V-14, Vinayakpuram Near Vin Palace Sector 12 Vikash Nagar Lucknow-226022, be and are hereby authorized to sell the land situated at Village - Bahadarabad, Ranipur, Pargana - Jwalapur, Tehsil & District - Haridwar, Uttarakhand belonging to the company and deal, negotiate with various interested parties and to finalize and execute/sign M.O.U., Agreements and Sale Deed(s) for the purpose of sale of such land belonging to the company and to do such other acts as may be required on behalf of the Company for the said purpose.

RESOLVED FURTHER THAT aforesaid Shri Mahavir Parshad and/or Ajeet Kumar Srivastava be and are hereby authorized to execute/sign and verify such other necessary document(s) as may be required and to appear on the behalf of the Company before the Registrar / Sub-Registrar or any other Registering Authority, for Registration of Sale Deed(s) and to do all such other acts and deed which may be required from time to time pertaining to the legal proceedings on behalf the Company."

FOR DHARMAVEER DEVELOPMENT AND REALITY PRIVATE LIMITED

  
 (HARINDRA PAL KUMAR)  
 Director  
 DIN: 00181103



आदेश

भारतीय संविधान की धारा 299 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश/उत्तराखण्ड सरकार की विज्ञापित संख्या 765/7-127/1965 दिनांक 27.04.1983 एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के साथ पठित 3-6 में (उत्तर प्रदेश/उत्तराखण्ड सरकार के राज्यपाल के अनुसार) दिये गये अधिकारों के अनुसार अधोहस्ताक्षरी प्रतिभूति वचनबद्ध करने एवं अवमुक्त करने हेतु प्राधिकृत है।

उपरोक्त क्रम में श्री महावीर प्रसाद पुत्र श्री राजाराम निवासी गौरीवाला सिरसा हरियाणा मौजा बहादुराबाद, जिला हरिद्वार ने अपने आवेदन पत्र दिनांक 09.10.2024 के द्वारा 22 आम के पातन हेतु आवेदन किया गया है, पातन हेतु आवेदित 22 वृक्षों का निरीक्षण प्रभारी उद्यान सचल दल केन्द्र, बहादुराबाद से कराया गया है निरीक्षण आख्यानुसार आवेदित वृक्षों के सापेक्ष कुल 22 आम वृक्ष पातन योग्य पाये गये, सम्बन्धित बाग स्वामी, पातन के उपरान्त पुराने पेड के एवज में नये पेड लगाने हेतु रू0 250.00 प्रति वृक्ष की दर से कुल 22 वृक्ष की धनराशि रू0 5500.00 मुख्य उद्यान अधिकारी हरिद्वार के पक्ष में बन्धक कराते हुये डाकघर के बचत पत्र/बैंक सावधि जमा, मूल रूप से जमा करना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त आदेश संबन्धित प्रभारी द्वारा प्राप्त संस्तुति के क्रम में जारी की जा रही है। इस आदेश में उल्लेखित फलदार वृक्ष की संख्या से अधिक वृक्षों के पातन किये जाने पर यह स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी एवं नियम संगत वैधानिक कार्यवाही अपनाई जायेगी एवं भूमि पर किसी भी प्रकार के वाद/विवाद की स्थिति को यदि आवेदनकर्ता के द्वारा अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में नहीं लाया जाता है या जानबूझकर छिपाया जाता है तो पातन अनुज्ञा निरस्त कर दी जाएगी। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आवेदनकर्ता की होगी एवं यदि पुराने पेडों के एवज में नये पेड नहीं लगाये जाते हैं तो बचत पत्र विभाग के नाम जब्त की जायेगी।

मुख्य उद्यान अधिकारी  
हरिद्वार।

कार्यालय मुख्य उद्यान अधिकारी हरिद्वार

पत्रांक 3661./पातन-जमानत/2024-25 दिनांक हरिद्वार

10-12-2024।

- प्रतिलिपि:- 1- श्री महावीर प्रसाद पुत्र श्री राजाराम निवासी गौरीवाला सिरसा हरियाणा मौजा बहादुराबाद, जिला हरिद्वार को उक्तानुसार कार्यवाही हेतु प्रेषित।  
2- डाकपाल, डाकघर, बहादुराबाद को सूचनार्थ प्रेषित।  
3- शाखा प्रबन्धक, बहादुराबाद को सूचनार्थ।

मुख्य उद्यान अधिकारी  
हरिद्वार।  
10/12/24

## कार्यालय मुख्य उद्यान अधिकारी, हरिद्वार

दिनांक 25/10/2024

पत्रांक 2293/पातन जांच/2024-25

1- गठित समिति के सदस्य।

2- प्रभारी, उद्यान सचल दल केन्द्र  
बहादुराबाद, हरिद्वार।

विषय- श्री महावीर प्रसाद पुत्र श्री राजाराम निवासी गौरीवाला सिरसा हरियाणा गौजा स्थित बहादुराबाद, के आम बाग में 22 आम वृक्षों पातन हेतु जांच आख्या के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक निम्नलिखित आवेदन पत्र मूल रूप में संलग्नको सहित प्रेषित करते हुये आपको निर्देशित किया जाता कि आप प्रश्नगत वृक्षों के पातन हेतु उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) तथा वन विधि मार्ग दर्शिका में प्रदत्त निर्देशों के आलोक में रव्य स्थलीय निरीक्षण करते हुये निम्नलिखित विन्दुओं पर अपनी लिखित आख्या एवं पातन हेतु अनुज्ञा देय है अथवा नहीं स्पष्ट करना सुनिश्चित करें।

- 1- प्रार्थी कृषि योग्य उस भूमि का स्वामी है जिस पर खड़े वृक्षों के पातन हेतु आवेदन किया गया है।
- 2- प्रार्थी द्वारा संलग्न किये गये पहचान पत्र को मूल प्रति से मिलान किया जाये।
- 3- प्रश्नगत भूखण्ड पर खड़े कुल वृक्षों की संख्या तथा पातन योग्य वृक्षों की संख्या स्पष्ट की जाये।
- 4- प्रश्नगत वृक्ष पातन योग्य क्यों है कारण सहित स्पष्ट किया जाना आवश्यक है।
- 5- प्रार्थी द्वारा पूर्व में भी वृक्ष पातन किये गये हैं यदि हाँ तो विवरण प्रस्तुत करें।
- 6- पातन योग्य वृक्षों के मोके पर प्रार्थी के साथ आप अपना जियो टैग लोकेशन के साथ फोटो संलग्न करें।
- 7- पातन की अनुज्ञा यदि नियमानुसार जारी की जाती है तो पातन उपरान्त भी जियो टैग का फोटो संलग्नक करना आवश्यक होगा।
- 8- यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पातन अनुज्ञा लेने वाले की भूमि उसी के नाम की दर्ज हो।
- 9- आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रपत्रों की भलीभाँति जाँच कर ली जाये।
- 10- पातन अनुज्ञा तथा पातन उपरान्त नियमानुसार पौध रोपण की जियो टैग फोटो भी पातन के 15 दिन के अन्तर्गत प्रस्तुत करें।
- 11- आवेदक द्वारा जिस उद्यान से वृक्षों के पातन हेतु अनुमति मांगी जा रही है उस उद्यान का नक्शा नजरिया संलग्न करते हुये बाग में स्थित समस्त वृक्षों की संख्या प्रदर्शित कर, पातन हेतु अनुमति मांगे जाने वाले वृक्षों को चिन्हित करना आवश्यक होगा, साथ ही बाग के चारों दिशाओं में किस कृषक की भूमि है का भी अंकन किया जाय तथा निरीक्षण के समय वागस्वामी के हस्ताक्षर कराना भी आवश्यक होगा।
- 12- मूल आवेदन पत्र संलग्नको सहित जाँच आख्या के साथ मूल रूप में इस कार्यालय को उपलब्ध कराये।
- 13- इस आदेश में उल्लेखित फलदार वृक्ष की संख्या से अधिक वृक्षों के पातन किये जाने पर यह स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी एवं नियम संगत वैधानिक कार्यवाही अपनाई जायेगी एवं भूमि पर किसी भी प्रकार के बाध/विवाद की स्थिति को यदि आवेदनकर्ता के द्वारा अघोहस्ताक्षरी के संज्ञान में नहीं लाया जाता है या जानबूझकर छिपाया जाता है तो पातन अनुज्ञा निरस्त कर दी जाएगी। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आवेदनकर्ता की होगी।
- 14- सही/सटीक निरीक्षण किये जाने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबन्धित प्रभारी की होगी। सही निरीक्षण न करने पर संबन्धित प्रभारी स्वयं उत्तरदायी होगा एवं किसी भी विपरीत परिस्थिति के उत्पन्न होने पर संबन्धित पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

संलग्न:- मूल आवेदन पत्र संलग्नकों सहित

मुख्य उद्यान अधिकारी  
हरिद्वार

H/C

J/S

## कार्यालय — मुख्य उद्यान अधिकारी हरिद्वार।

पातन अनुज्ञा संख्या 3749 / फ0व0प10 / 2024-25

दिनांक 16/12/2024 हरिद्वार 2024

## पातन अनुज्ञा

उत्तराखण्ड शासन वन एवं पर्यावरण अनुभाग-3 के पत्र संख्या 927/X-3-12/दिनांक 03.12.2012 एवं उत्तर प्रदेश अधिनियम 45/1976 यथावत् की धारा-3 की उपधारा(III) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहरताक्षरी निम्नलिखित को निम्न शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन निम्नलिखित के अधीन की जाती है।

1-अधोलिखित प्रार्थी श्री महावीर प्रसाद पुत्र श्री राजाराम निवासी गौरीवाला शिरसा हरियाणा मौजा बहादुराबाद, जिला हरिद्वार ने अधोहरताक्षरी से अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 09.10.2024 के द्वारा अपनी निजी भूमि में स्थित बाग रो फल वृक्षों के पातन की अनुज्ञा मांगी गई है।

2-अधोहरताक्षरी ने प्रभारी उ0स0द0 केन्द्र, बहादुराबाद रो बाग/पातन क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण करा लिया है व स्वयं को संतुष्ट कर लिया है।

3-अधोलिखित पेड़ प्रार्थी की व्यक्तिगत भूमि में स्थित बाग में खड़े हैं।

4-ये पेड़ पूर्णतः प्रतिबंधित प्रजाति के हैं तथा हरे हैं। ये फलदार/भूखान प्रकाट के हैं, जो पुराने/विभिन्न प्रकार के रोगों से रोगग्रस्त हैं जिनकी फलदाई क्षमता में भरपूर गिरावट आ चुकी है तथा बाग स्वामी के लिये अलाभकारी है।

5-अतः अधोलिखित प्रार्थी को इन वृक्षों के पातन की अनुज्ञा प्रभारी उ0स0द0 केन्द्र बहादुराबाद हरिद्वार की संस्तुति के आधार पर एतद्वारा दी जाती है तथा अनुज्ञा जारी होने के दिनांक से 15 दिन की अवधि के लिये वैध होगी। एवं अनुज्ञा में उल्लेखित संख्या से अधिक पातन करने पर यह स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी एवं विधी संगत कार्यवाही अपनायी जायेगी। किररी नी प्रकार के बाद/विवाद की स्थिति को अधोहरताक्षरी के संज्ञान में नहीं लाया जाता है या जानबूझकर छिपाया जाता है तो इस स्थिति में पातन अनुज्ञा निरस्त समझी जायेगी।

6-उस भूमि का विवरण जिरा पर पातन हेतु अनुज्ञा दी जानी है(खरारा खतौनी की नवीनतम सत्यापित प्रतिलिपि/शपथ-पत्र व नक्शा) जो इस कार्यालय में प्रस्तुत किये गये हैं का विवरण निम्न प्रकार है:-

जिला	तहसील	थाना	ग्राम	खाता/खतौनी/खसरा नम्बर
हरिद्वार	हरिद्वार	बहादुराबाद	बहादुराबाद	330

7- वृक्षों का खसरा नम्बरवार विवरण जिनके पातन की अनुज्ञा दी जाती है:-

बाग स्वामी का नाम व पता	खसरा संख्या	खसरे में कुल वृक्षों की संख्या तथा प्रजाति	वृक्षों का विवरण (गोलाई फिट में)								
			0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7 से ऊपर	योग
श्री महावीर प्रसाद पुत्र श्री राजाराम निवासी गौरीवाला शिरसा हरियाणा मौजा बहादुराबाद, जिला हरिद्वार	330	22 आम बीजू	00	00	00	00	00	05	14	03	22
			00	00	00	00	00	00	00	00	00
		योग-	00		00	00	00	05	14	03	22

8-प्रार्थी ने 250/प्रति पेड़ की दर से कुल 22 आम वृक्षों के सापेक्ष रू0 5500.00 जमानत इस उद्देश्य से अधोहरताक्षरी को निरूपित कर दी है कि प्रत्येक काटे गये वृक्षों के बदले दो वृक्ष सफलता पूर्वक लगायेगा। यह धनराशि रू0, 5500.00 डाकघर रोशनाबाद, हरिद्वार के खाता संख्या 020138033056 से दिनांक 10.12.2024 को जमा हो गई है। यह जमानत एक वर्ष पश्चात पौधों की सफलता का निरीक्षण करने के बाद ही वापस की जा सकती है। फल वृक्षों का निरीक्षण सम्बन्धित प्रभारी उ0स0द0 केन्द्र बहादुराबाद से कराने के उपरान्त विधिवत निकासी ली जाये।

9-यदि प्रार्थी द्वारा पेड़ पातन उपरान्त नये वृक्षों का रोपण न करके कालोनी का निर्माण किया जाता है तो आपकी जमानत धनराशि जम्मा कर दी जायेगी। एवं विधी संगत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

10-पातन अनुज्ञा में दी गयी वृक्षों की संख्या से अधिक पेड़ काटने पर कृषक एवं आवेदन पत्र में अनुबन्धित ठेकेदार के विरुद्ध सम्बन्धित थाने में एफ0आई0आर0 की जायेगी।

मुख्य उद्यान अधिकारी  
हरिद्वार  
16/12/2024

पत्रांक / उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रार्थी अथवा उनके प्रतिनिधि को उनके आवेदन पत्र दिनांक 09.10.2024 के क्रम में इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्तानुसार निर्धारित समय के अन्तर्गत पातन करना सुनिश्चित करें, निर्धारित समय के पश्चात अनुज्ञा स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी।
- 2- प्रभारी उ0स0द0 केन्द्र बहादुराबाद को इस निर्देश के साथ कि विहित वृक्षों के पातन के उपरान्त गौके का स्थलीय निरीक्षण कर इस बात की पुष्टि करेंगे कि बाग स्वामी द्वारा गौके पर पातन हेतु विहित वृक्षों से अधिक वृक्षों का पातन तो नहीं किया गया है तथा पातन उपरान्त जी0ई0आर0 टैग फोटो संलग्न करते हुये सम्बन्धित जॉब आख्या अधोहरताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 3- सम्बन्धित थानाध्यक्ष।
- 4- उपजिलाधिकारी हरिद्वार
- 5- प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग हरिद्वार को सूचनाार्थ प्रेषित।
- 6- वन क्षेत्राधिकारी बहादुराबाद

Received  
1 copy  
K. S. Singh  
16/12/2024

मुख्य उद्यान अधिकारी  
हरिद्वार  
16/12/2024

# उद्धरण खसरा

नकल खसरा ग्राम ..... खडान्यावाड़ ..... परगना ..... जवालापुर ..... तहसील ..... डीरसाट ..... जिला हरिद्वार सन् १९३७ एडिसन फसली सम्बन्धी

खेत की संख्या	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	खेतों की संख्या	खतौनी के भाग 1 के वर्गीकरण के अनुसार खातेदार का नाम	खतौनी के भाग 1 के वर्गीकरण के अनुसार खातेदार का नाम (वर्ग को देना)	खिचोई का साधन	क्षेत्रफल						अकृषिक भूमि		खेत के पूरे बड़े हुए पेड़ों की संख्या	विवरण						
						खरीफ		रबी		जायद		दो फसली क्षेत्रफल	अकृषिक भूमि								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
382	0.222	66	चिन्मयु स्टेट आर्क. नं. 10226	X																	
382	0.252	296	चिन्मयु स्टेट	X																	
360	0.352	66	चिन्मयु स्टेट आर्क. नं. 10226	X																	
368	0.520	66	चिन्मयु स्टेट आर्क. नं. 10226	X																	
368	0.568	66	चिन्मयु स्टेट आर्क. नं. 10226	X																	

प्राप्ति स्थान : सरस्वती स्टेशन एण्ड काइस, जवालापुर, हरिद्वार



सेवा से,

श्री मान मुख्या जिला उद्यान अधिकारी महोदय, हरिद्वार  
जिला- हरिद्वार।

श्री मान जी,

निवेदन यह है कि प्रार्थी खाता छत्तीनी नम्बर-307, छसरा  
नम्बर- 325/2, रकबई- 1.009 है। स्थित मीजा- बहादुराबाद, परगना  
ज्वालापुर, तहसील व जिला हरिद्वार का मालिक एवं स्वामी है। श्री मान  
जी हमारी उपरोक्त सम्पत्ति में 60 पेड आम के खड़े हुए हैं जो कि बहुत  
ही पुराने हैं और अधिक पुराने होने के कारण फसल नहीं देते हैं और रोग  
से भी पीड़ित होने लगे हैं जिनका दोबारा जीर्णोद्धार नहीं किया जा सकता  
है इसलिए प्रार्थी उपरोक्त 60 पेड आम के कटवाकर उनके स्थान पर नई  
किस्म के अच्छे पेड लगाना चाहता है जिसके लिए माननीय महोदय की  
अनुमति की आवश्यकता है जो कि प्रदान की जानी आवश्यक एवं प्रार्थनीय  
है।

अतः श्री मान जी से प्रार्थना है कि उपरोक्त तथ्यों को  
मद्देनजर रखते हुए प्रार्थी को उपरोक्त 60 पेड आम के कटवाने व उनके  
स्थान पर नई किस्म के अच्छे पेड लगाने की अनुमति प्रदान करने की कृपा  
करे, आमकी अति कृपा होगी।

दिनांक- 21/09/2024

प्रार्थी

*Abhishek Tyagi*  
(आमिक 211001)

अभिषेक त्यागी पुत्र श्री सतीश त्यागी  
निवासी- निकट सौन्धी नर्सिंग होम म्यूर विहार  
आर्य नगर ज्वालापुर, तहसील व जिला हरिद्वार।

21/09/2024

— 1/1/11



सत्यमेव जयते



IN-UK46287239798050W

INDIA NON JUDICIAL


Government of Uttarakhand

e-Stamp

Certificate No. : IN-UK46287239798050W  
 Certificate Issued Date : 21-Sep-2024 02:45 PM  
 Account Reference : NONACC (SV)/ uk1304904/ ROSHNABAD/ UK-HD  
 Unique Doc. Reference : SUBIN-UKUK130490499573365114270W  
 Purchased by : ABHISHEK TYAGI  
 Description of Document : Article 4 Affidavit  
 Property Description : NA  
 Consideration Price (Rs.) : 0  
 (Zero)  
 First Party : ABHISHEK TYAGI  
 Second Party : SHAKSHAM ADHIKARI  
 Stamp Duty Paid By : ABHISHEK TYAGI  
 Stamp Duty Amount (Rs.) : 10  
 (Ten only)



अशोक कुमार, को. नं. 252118  
 एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रार, हरिद्वार



10,830  
 10/830  
 शक्य

Please write or type below this line

शक्य



समस्त:- श्री मान मुख्य जिला अधीन अधिकारी महोदय, हरिद्वार।

शक्य मिमजानिब:- अभिषेक त्यागी पुत्र श्री सतीश त्यागी निवासी-  
 निकट सोन्धी नर्सिंग होम म्यूर विहार आर्य नगर  
 ज्वालापुर, तहसील व जिला हरिद्वार।

मै शक्य पूर्वक निम्न कथन करता हूँ कि:-

यहकि मेरा उपरोक्त नाम एवं पता सचसच व सही है।

## Statutory Alert.

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at [www.e-stamp.gov.in](http://www.e-stamp.gov.in) or using e-Stamp Mobile App or Block Printing. Any discrepancy in the details on this Certificate as shown on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The user of checking the legitimacy to all the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

§2§

§2§ यहकि शपथकर्ता खाता खाती नम्बर- 307, खाता नम्बर- 325/2, रकब- 1-009 है स्थित मीजा- बहादुरबाद, तहसील व जिला हरिद्वार का मालिक एवं स्वामी है।

§3§ यहकि शपथकर्ता की उपरोक्त सम्पत्ति मे 60 पेड आम के छडे हुए है जी कि बहुत अधिक पुराने है और अधिक पुराने होने के कारण यह फसल नहीं देते है और बीमारी से भी पीडित होने लगे है इसलिए शपथकर्ता उक्त पेडों को कटवाकर उनके स्थान पर नई किसिम के अच्छे पेड लगाना चाहता है जिसके लिए अनुमति प्रदान की जानी आवश्यक एवं प्रार्थनीय है।



यहकि मेरे उपरोक्त शपथपत्र का कुल कथन सत्य व सही है कीई तथ्य छिपाया नहीं गया है और ना ही झूठ बोला गया है ई श्वर सब बोलने मे मेरी मददकरे।

दिनांक- 21/09/2024

हो शपथकर्ता

(अभिषेक चारा)   
 Abhishek Tyagi

हो शपथकर्ता

(अभिषेक चारा)   
 Abhishek Tyagi

प्रमाणित   
 21/9/24

21/9/24

## कार्यालय मुख्य उद्यान अधिकारी, हरिद्वार

पत्रांक 1833/पातन जांच/2024-25

दिनांक 28 सितम्बर, 2024

प्रभारी,  
उद्यान सचल दल केन्द्र  
बहादुराबाद, हरिद्वार।

**विषय:-** श्री अभिषेक त्यागी पुत्र श्री सतीश त्यागी निवासी - निकट सोन्धी नर्सिंग होम म्यूर बिहार आर्य नगर, ज्वालापुर, तहसील व जिला हरिद्वार के आम बाग में 60 आम वृक्षों पातन हेतु जांच आख्या के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक निम्नलिखित आवेदन पत्र मूल रूप में संलग्नको सहित प्रेषित करते हुये आपको निर्देशित किया जाता कि आप प्रशनगत वृक्षों के पातन हेतु उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976(उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) तथा वन विधि मार्ग दर्शिका में प्रदत्त निर्देशों के आलोक में स्वयं स्थलीय निरीक्षण करते हुये निम्नलिखित बिन्दुओं पर अपनी लिखित आख्या एवं पातन हेतु अनुज्ञा देय है अथवा नही स्पष्ट करना सुनिश्चित करें।

- 1- प्रार्थी कृषि योग्य उस भूमि का स्वामी है जिस पर खड़े वृक्षों के पातन हेतु आवेदन किया गया है।
- 2- प्रार्थी द्वारा संलग्न किये गये पहचान पत्र को मूल प्रति से मिलान किया जाय।
- 3- प्रशनगत भूखण्ड पर खड़े कुल वृक्षों की संख्या तथा पातन योग्य वृक्षों की संख्या स्पष्ट की जाय।
- 4- प्रशनगत वृक्ष पातन योग्य क्यों है कारण सहित स्पष्ट किया जाना आवश्यक है।
- 5- प्रार्थी द्वारा पूर्व में भी वृक्ष पातन किये गये है यदि हों तो विवरण प्रस्तुत करें।
- 6- पातन योग्य वृक्षों के मौके पर प्रार्थी के साथ आप अपना जियो टैग लोकेशन के साथ फोटो संलग्न करें।
- 7- पातन की अनुज्ञा यदि नियमानुसार जारी की जाती है तो पातन उपरान्त भी जियो टैग का फोटो संलग्न करना आवश्यक होगा।
- 8- यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पातन अनुज्ञा लेने वाले की भूमि उसी के नाम की दर्ज हो।
- 9- आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रपत्रों की भलीभाँति जाँच की ली जाय।
- 10- पातन अनुज्ञा तथा पातन उपरान्त नियमानुसार पौध रोपण की जियो टैग फोटो भी पातन के 15 दिन के अन्तर्गत प्रस्तुत करें।
- 11- आवेदक द्वारा जिस उद्यान से वृक्षों के पातन हेतु अनुमति मांगी जा रही है उस उद्यान का नक्शा नजरिया संलग्न करते हुये बाग में स्थित समस्त वृक्षों की संख्या प्रदर्शित कर, पातन हेतु अनुमति मांगे जाने वाले वृक्षों को चिन्हित करना आवश्यक होगा, साथ ही बाग के चारों दिशाओं में किस कृषक की भूमि है का भी अंकन किया जाय तथा निरीक्षण के समय वागस्वामी के हस्ताक्षर कराना भी आवश्यक होगा।
- 12- मूल आवेदन पत्र संलग्नको सहित जाँच आख्या के साथ मूल रूप में इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।

संलग्न:- मूल आवेदन पत्र संलग्नकों सहित

*Abhishek Tyagi*  
28/9/24

मुख्य उद्यान अधिकारी  
हरिद्वार

*ok* *28/9*



आदेश

भारतीय संविधान की धारा 299 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश/उत्तराखण्ड सरकार की स्वीकृति संख्या 765/7-127/1965 दिनांक 27.04.1983 एवं वित्तीय हस्तपुरितका के साथ पठित 3-8 (उत्तर प्रदेश/उत्तराखण्ड सरकार के राज्यपाल के अनुसार) दिये गये अधिकारों के अनुसार अधोहस्ताक्षरी प्रतिभूति बचनबद्ध करने एवं अवमुक्त करने हेतु प्राधिकृत है।

उपरोक्त क्रम में श्री अभिषेक त्यागी श्री सतीश त्यागी, निवासी मयूर विहार, आर्यनगर, ज्वालापुर, जिला हरिद्वार ने अपने आवेदन पत्र दिनांक 21.09.2024 के द्वारा 30 आम वृक्षों के पातन हेतु आवेदन किया गया है, पातन हेतु आवेदित 60 वृक्षों का निरीक्षण प्रभारी उद्यान सचल दल केंद्र, बहादुराबाद से कराया गया है निरीक्षण आख्यानानुसार आवेदित वृक्षों के सापेक्ष कुल 55 आम वृक्ष पातन योग्य पाये गये, सम्बन्धित बाग स्वामी, पातन के उपरान्त पुराने पेड़ के एवज में नये पेड़ लगाने हेतु रु० 250.00 प्रति वृक्ष की दर से कुल 55 वृक्ष की धनराशि रु० 13750.00 मुख्य उद्यान अधिकारी हरिद्वार के पक्ष में बन्धक कराते हुये डाकघर के बचत पत्र/बैंक सावधि जमा, मूल रूप से जमा करना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त स्वीकृति संबन्धित प्रभारी द्वारा प्राप्त संस्तुति के क्रम में जारी की जा रही है। इस आदेश में उल्लेखित फलदार वृक्ष की संख्या से अधिक वृक्षों के पातन किये जाने पर यह स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी एवं नियम संगत वैधानिक कार्यवाही अपनाई जायेगी एवं भूमि पर किसी भी प्रकार के वाद/विवाद की स्थिति को यदि आवेदनकर्ता के द्वारा अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में नहीं लाया जाता है या जानबूझकर छिपाया जाता है तो पातन अनुज्ञा निरस्त कर दी जाएगी। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आवेदनकर्ता की होगी।

मुख्य उद्यान अधिकारी  
हरिद्वार।

o/c [Signature]

कार्यालय मुख्य उद्यान अधिकारी हरिद्वार

पत्रांक 19-3/पातन--जमानत/2024-25 दिनांक हरिद्वार

08/10/2024।

प्रतिलिपि:- 1-श्री अभिषेक त्यागी श्री सतीश त्यागी, निवासी मयूर विहार, आर्यनगर, ज्वालापुर, जिला हरिद्वार को उक्तानुसार कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2-डाकपाल, डाकघर, बहादुराबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

3-शाखा प्रबन्धक, बहादुराबाद को सूचनार्थ।

दो कार्यालय 5/11/24

सतीश

मुख्य उद्यान अधिकारी  
हरिद्वार।

o/c [Signature]

पातन अनुज्ञा संख्या

कार्यालय मुख्य उत्पान अधिकारी हरिद्वार

/प0उ0पा0/2024-25

दिनांक

हरिद्वार

2024

## पातन अनुज्ञा

रत्तराखण्ड शासन वन एवं पर्यावरण अनुभाग-3 के पत्र संख्या 027/X-3-12/दिनांक 03.12.2012 एवं उत्तर प्रदेश

अधिनियम 45/1976 यथावत की धारा-3 की उपधारा(ग) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी निम्नलिखित

1-अधोलिखित प्रार्थी श्री अभिषेक त्यागी पुत्र श्री सतीश त्यागी निवासी मयूर विहार आर्यनगर ज्वालामुखी, तहसील हरिद्वार, जिला हरिद्वार ने अधोहस्ताक्षरी से अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 21.09.2024 के द्वारा अपनी निजी भूमि में स्थित बाग से फल वृक्षों के पातन की अनुज्ञा मांगी

2-अधोहस्ताक्षरी ने प्रभारी उ0स0द0 केन्द्र, बहादुराबाद से बाग/पातन क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण करा लिया है व स्वयं को संतुष्ट कर लिया है।

3-अधोलिखित पेड़ प्रार्थी की व्यक्तिगत भूमि में स्थित बाग में खड़े हैं।

4-य पेड़ पूर्णतः प्रतिबन्धित प्रजाति के हैं तथा हरे हैं। ये फलदार/मूलवान प्रकार के हैं, जो पुराने/विभिन्न प्रकार के रोगों से संक्रमित हैं जिनकी फलदाई क्षमता में भरपूर गिरावट आ चुकी है तथा बाग स्वामी के लिये अलाभकारी है। आम वृक्ष आंधी लुफन के कारण मकान पर गिरकर जानमाल व सम्पत्ति को नुकसान होगा।

5-अतः अधोलिखित प्रार्थी को इन वृक्षों के पातन की अनुज्ञा प्रभारी उ0स0द0 केन्द्र बहादुराबाद/मु0उ0अधिकारी मुख्यालय हरिद्वार की संस्तुति के आधार पर एतद्वारा दी जाती है तथा अनुज्ञा जारी होने के दिनांक से 20 दिन की अवधि के लिये वैध होगी। एवं अनुज्ञा में उल्लिखित संख्या से अधिक पातन करने पर यह स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी एवं विधी संगत कार्यवाही अपनायी जायेगी। किसी भी प्रकार के वाद/विवाद की स्थिति में पातन अनुज्ञा निरस्त समझी जायेगी।

6-उस भूमि का विवरण जिस पर पातन हेतु अनुज्ञा दी जानी है(खसरा खतौनी की नवीनतम सत्यापित प्रतिलिपि/शपथ-पत्र व नक्शा) जो इस कार्यालय में प्रस्तुत किये गये हैं का विवरण निम्न प्रकार है:-

जिला	तहसील	धाना	गांव	खाता/खतौनी/खसरा नम्बर
हरिद्वार	हरिद्वार	बहादुराबाद	बहादुराबाद	325/2

7- वृक्षों का खसरा नम्बरवार विवरण जिनके पातन की अनुज्ञा दी जाती है:-

बाग स्वामी का नाम व पता	खसरा संख्या	खसरे में कुल वृक्षों की संख्या तथा प्रजाति	वृक्षों का विवरण व्यास(फुट) में								योग	
			0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7 से ऊपर		
श्री अभिषेक त्यागी पुत्र श्री सतीश त्यागी निवासी मयूर विहार आर्यनगर ज्वालामुखी, हरिद्वार	325/2	60 आम वृक्ष वीजू	00	00	00	00	00	09	09	00	37	55
योग:-			00	00	00	00	00	09	09	00	37	55

8-प्रार्थी ने 250/- प्रति पेड़ की दर से कुल ₹ 250.00 के सापेक्ष ₹ 13750.00 जमानत इस उद्देश्य से अधोहस्ताक्षरी को निरूपित कर दी है कि प्रत्येक काटे गये वृक्षों के बदले दो वृक्ष सफलता पूर्वक लगायेगा। यह धनराशि ₹ 0,13750.00 इंडियन बैंक सं0 788-323424 दिनांक 08.10.2024 से जमा हो गई है। यह जमानत एक वर्ष पश्चात पौधों की सफलता का निरीक्षण करने के बाद ही वापस की जा सकती है। फल वृक्षों का निरीक्षण साबित प्रभारी उ0स0द0 केन्द्र बहादुराबाद से कराने के उपरान्त विधिवत निकासी ली जाये।

मुख्य उपाधी/अधिकारी

हरिद्वार

पत्रांक 2026 / उक्त दिनांक। 10/10/24

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रार्थी को रजिस्टर्ड डाक द्वारा उनके आवेदन पत्र दिनांक 21.09.2024 के क्रम में इस आशय से कि उपरोक्तानुसार निर्धारित समय के अन्तर्गत पातन करना सुनिश्चित करें, निर्धारित समय के पश्चात अनुज्ञा स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी।
- 2- प्रभारी उ0स0द0 केन्द्र बहादुराबाद को इस निर्देश के साथ कि विन्धित वृक्षों के पातन के उपरान्त गौके का स्थलीय निरीक्षण कर इस बात की पुष्टि करें कि बाग स्वामी द्वारा गौके पर पातन हेतु विन्धित वृक्षों से अधिक वृक्षों का पातन तो नहीं किया गया है तथा पातन उपरान्त जी0ई0अ00 टैग फोटो संलग्न करते हुये साबित जॉच आख्या अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 3- सम्बन्धित थानाध्यक्ष।
- 4- उपजिलाधिकारी लखसर/हरिद्वार/रुडकी
- 5- प्रभारी वनाधिकारी, हरिद्वार को सूचनार्थ प्रेषित।
- 6- वन क्षेत्राधिकारी हरिद्वार

मुख्य उत्पान/अधिकारी

हरिद्वार

प्रभारी उद्यान संचयन बहादुराबाद

महोदय

अवगत कराना है कि कु० उ० अ० कार्यालय द्वारा दी गई पातन अनुज्ञा सं 2026 दिनांक 10/10/2024 के द्वारा 55 बीजू आम की दी गई थी।

महोदय, उक्त वृक्षों के पातन करते समय कुछ अन्य वृक्षों के अंतर गिर गए थे। वृक्ष शीर्ष से उड़ वृक्ष डूट गए थे; जिस कारण उन वृक्षों का प्राची द्वारा पातन करना पड़ा। महोदय उक्त वृक्ष बीजू प्रजाति होने के कारण फल क्षमता से बंधित रहे थे, जिससे प्राची का काफी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा था। जिस कारण प्राची द्वारा आम वृक्षों का पातन किया गया। वर्तमान में प्राची द्वारा अच्छी किस्म के फलदार वृक्षों का रोपन कर दिया गया है। जिसकी फोटो संलग्न है।

अतः महोदय में द्वारा पातन से अधिक जो 5 वृक्षों का पातन किया गया है में उसका जुर्माना देने को तैयार हूँ।

*(Signature)*  
 प्राची  
 आर्थिक प्रभारी  
 न.नं०-1 मंगल पार्क  
 Arja Nagar Jwp. Hdq.  
 Mob: 90-9719760801

पातन प्र  
 19/10/24

दिनांक :- 18/10/24

सेवा में मुख्य उद्यान अधिकारी,  
 कारण कुछ भी बच हो 5 आम  
 वृक्षों का आर्थिक पावन हुआ है  
 अतः 5000/- प्रति वृक्ष की दर  
 से 5000 x 5 = 25000/-  
 अथ 2000/- प्रति वृक्ष की लागत है।

*(Signature)*  
 प्रभारी  
 उ०स०द०केन्द्र  
 बहादुराबाद

### अर्थ दण्ड आदेश

श्री अभिषेक त्यागी पुत्र श्री सतीश त्यागी, निवासी मयूर विहार, ज्वालापुर, बहादुराबाद, जिला हरिद्वार द्वारा बिना विभाग की अनुमति के अपने बाग से 05 जीवित आम वृक्षों का पातन किये जाने पर की गई विभागीय कार्यवाही में दोषी पाये गये, उक्त जीवित वृक्षों को सक्षम प्राधिकारी की लिखित अनुज्ञा के अभाव में पातन किया गया है, जो कि भारतीय वन (उत्तरांचल संशोधन) संरक्षण अधिनियम की धारा 42 की उपधारा (1) का स्पष्ट उल्लंघन है।

अतः अधिनियम के उल्लंघन का दोषी पाये जाने पर कृषक के द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अच्छी किस्म के फलदार पौधों का रोपण करने के उपरान्त प्रभारी की संस्तुति के आधार पर मैं मुख्य उद्यान अधिकारी, हरिद्वार शासनादेश संख्या 927 / IX-3-2012 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री अभिषेक त्यागी पुत्र श्री सतीश त्यागी, निवासी मयूर विहार, ज्वालापुर, बहादुराबाद, जिला हरिद्वार के विरुद्ध 05 जीवित आम वृक्षों के पातन पर रू०, 5000.00 प्रति वृक्ष की दर से कुल धनराशि रू०, 25000.00 (रू० पच्चीस हजार मात्र) का अर्थ दण्ड निर्धारित करते हुये उन्हें निर्देशित करता हूँ कि वे तत्काल रू०, 25000.00 (रू० पच्चीस हजार मात्र) प्रभारी उ०स०द०केन्द्र, बहादुराबाद में जमा करना सुनिश्चित करें।

मुख्य उद्यान अधिकारी,  
हरिद्वार

O/c *DK*

कार्यालय- मुख्य उद्यान अधिकारी हरिद्वार

पत्रांक 2266 / अवैध पातन / 2024-25 दिनांक हरिद्वार 27/10/ 2024

- प्रतिलिपि:- 1- श्री अभिषेक त्यागी पुत्र श्री सतीश त्यागी, निवासी मयूर विहार, ज्वालापुर, बहादुराबाद, जिला हरिद्वार को उपरोक्तानुसार अनुपलनार्थ।
- 2- प्रभारी उ०स०द०केन्द्र, बहादुराबाद को इस निर्देश के साथ कि रू०, 25000.00 (रू० पच्चीस हजार) मात्र श्री फूल सिंह पुत्र श्री किशन सिंह निवासी / ग्राम-भलस्वागाज, इकबालपुर, जिला हरिद्वार से प्राप्त कर विभागीय कैश रसीद उपलब्ध कराते हुये धनराशि विभागीय लेखाशीर्षक में जमा करना सुनिश्चित करें
- 3- प्रभारी उद्यान सचल दल केन्द्र बहादुराबाद।
- 4- थाना प्रभारी बहादुराबाद हरिद्वार

मुख्य उद्यान अधिकारी,  
हरिद्वार

O/c *DK*

अनसूचित जातों के विकास विभाग, उत्तराखण्ड  
 उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तराखण्ड

कैश रसीद बुक  
 दिनांक 28/10/2024

संख्या रसीद संख्या 1843791  
 10 भागिक व पागी फल शीतला का उत्पादन  
 से) प्राप्त हुई।

मन्त्र विहार ज्वालामुखी

बेची गयी वस्तुओं / किये गये काम का वर्णन	परिमाण	मूल्य दर		धनराशि		प्रपंजी (Ledger) पृष्ठ
		रु०	पै०	रु०	पै०	
0 आम वृक्ष	5	50000		250000		
योग रु० (पञ्चदश हजार मात्र)				250000		

प्रतिहस्ताक्षरित  
 प्रभाती के हस्ताक्षर  
 प्रभाती के सहित।  
 उद्यान सचल दल केन्द्र  
 बहादुराबाद (हरिद्वार)  
 प्रभाती / कार्यालयाध्यक्ष  
 (कम्प्यूटर / ऑफिसर)।

# कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार

सूचना/फैक्स 01334 220271, email : dfo\_hardwar@rediffmail.com  
पत्रांक : 3115 / 23-3, हरिद्वार दिनांक 20/12/2024

## पातन अनुज्ञा

श्री अभिवेक त्यागी पुत्र श्री रातीश त्यागी, निवासी-गयूर विहार ज्वालामुखी, पो 0 व थाना रानीपुर तहसील व जिला हरिद्वार के आवेदन पत्र के क्रम में उनके पिछले नाम भूमि के खसरा सं 328 में स्थित बघादराबाद जिला हरिद्वार में खड़े रोपण(हरे खड़े) प्रजाति के कुल 07 वृक्षों के पातन हेतु वन क्षेत्राधिकारी, हरिद्वार रेंज द्वारा अपने पत्रांक-228/23-3, दिनांक 18.10.2024 की रिपोर्ट/संस्तुति पर उप प्रभागीय वनाधिकारी, हरिद्वार द्वारा संस्तुति कर प्रेषित की गई है। वन क्षेत्राधिकारी, हरिद्वार के पत्रांक 355/23-3, दिनांक 18.12.2024 से 08 वृक्षों की उपान रिपोर्ट मय एन0एस0सी0/एफ0डी0आर0(सं 7835440642) सहित इस कार्यालय को प्रस्तुत की गयी है। उपरोक्त संस्तुति एवं जाँच उपरान्त उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1978, (उत्तराखण्ड में यथा-प्रवृत्त) की धारा-5 में प्रवर्तन शर्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न विवरणानुसार वृक्षों की पातन अनुमति पत्र निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है।

क्र.सं.	वृक्ष प्रजाति	धारा चर्च	कुल संख्या	अन्युक्ति
01	शमल(हरे खड़े)	7-8-01 9-03 8-9-01	06	वन क्षेत्राधिकारी, हरिद्वार रेंज की जाँच आख्यानुसार उक्त वृक्ष फसल को क्षति पहुँचा रहे हैं।

- उक्त वृक्ष पातन की अनुमति निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन दी जाती है -
- पत्र जारी होने के बाद 07 दिन तक के लिए यह पातन अनुज्ञा वैध होगी। भू-स्वामी द्वारा निश्चित रूप से इस अवधि में वृक्षों का पातन करना होगा। उक्त 07 दिनों के बाद वृक्ष पातन हेतु कोई अवधि विस्तार नहीं दिया जायेगा।
- उक्त वृक्षों की पातन अनुज्ञा उत्तराखण्ड शासन वन अनुभाग-3 संख्या 115/X-3-24/05(11)/2022, दिनांक 11 मार्च 2024 द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार अपनां समुपयोज्य धारा प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्गत की जा रही है।
- पत्र जारी होने के 01 माह के अन्दर उक्त वृक्षों के पातन के पश्चात आवश्यकतानुसार उत्तराखण्ड इमारती लकड़ी और अन्य वन उपज अभिवहन नियमावली-2012 के प्राविधानानुसार प्रकाश की निकासी हेतु सम्बन्धित रेंज कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
- उक्त पेड़ों के पातन स्थलों का किसी भी समय वन विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी/कर्मचारी द्वारा निरीक्षण किया जा सकेगा।
- उक्त वृक्षों के पातन हेतु भू-स्वामी द्वारा अपने आवेदन पत्र में किसी भी पत्र में तथ्य का किसी भी मय असत्य पाये जाने पर पातन अनुज्ञा को निरस्त माना जायेगा।
- उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम-1978 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) की धारा-7 के प्राविधानानुसार प्रत्येक पातित वृक्ष के रोपण के लिए संख्या में पौधों का रोपण चिह्नित स्थलों पर भू-स्वामी द्वारा स्वयं के व्यय पर किया जायेगा। रोपित पौधों की देख-रेख सम्बन्धित भू-स्वामी द्वारा किया जायेगा। वृक्षारोपण हेतु स्थल चयन प्रजाति का चयन व रोपित पौध की जीवितता सम्बन्धित वन क्षेत्राधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
- वृक्ष के स्वामित्व को लेकर यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो विभाग इसका जिम्मेदार नहीं होगा।
- पातन सूर्योदय के बाद व सूर्यास्त तक ही मान्य होगी।
- यह सुनिश्चित कर लेवे कि यह पातन अनुज्ञा केवल उक्त वृक्ष के लिये ही है। इसकी आड़ में अन्य वृक्षों का पातन न हो।
- आवेदक को वृक्षों के पातन की अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ दी जाती है कि पातन उपरान्त सम्बन्धित वन क्षेत्राधिकारी व उप प्रभागीय वनाधिकारी के निरीक्षण के पश्चात ही पातित वृक्षों की जड़ों का खुदान किया जाये।
- शर्तों का उल्लंघन होने पर पातन अनुज्ञा स्वतः निरस्त हो जायेगा एवं समस्त प्रकाश को अवैध मानते हुए कार्यवाही की जायेगी।

पत्रांक : 3115 / (1) तददिनांकित।  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- उप प्रभागीय वनाधिकारी, हरिद्वार।
- उप जिलाधिकारी, हरिद्वार।
- वन क्षेत्राधिकारी, हरिद्वार रेंज।
- सम्बन्धित थाना प्रभारी।
- श्री अभिवेक त्यागी पुत्र श्री रातीश त्यागी, निवासी-गयूर विहार ज्वालामुखी, पो 0 व थाना रानीपुर तहसील व जिला हरिद्वार।

प्रभागीय वनाधिकारी,  
हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार

सेवा में

थानाध्यक्ष बहादुराबाद

हरिद्वार।

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि प्रार्थी की जमीन खसरा संख्या 325/2 पर 03 सैमल वृक्ष खड़े थे। संबंधित नसीम पुत्र अजीज निवासी ग्राम महमूदपुर पिरयान कलियर द्वारा मुझे बिना बताये वृक्षों का अवैध पातन कर दिया गया, और प्रकाष्ठ उपलब्ध नहीं है। कृपया कर संबंधित के खिलाफ कार्यवाही करने का कष्ट करें।

दिनांक :- 24/12/2024

*Abhishek Tyagi*

प्रार्थी:-

अभिषेक त्यागी पुत्र श्री सतीश त्यागी  
निवासी - 01 मयूर विहार, आर्यनगर  
ज्वालापुर, हरिद्वार।  
मो0न0. 9719760801

प्रतिलिपि :- प्रभागाय तन अधिकारी बहादुराबाद  
(कड़ेप को आवश्यक कार्रवाई हेतु)



**उद्धरण खासरा**

नकल खासरा ग्राम ..... बहादुराबाद ..... परसना ..... ज्वालामुखी ..... तहसील ..... जिला हरिद्वार ..... १४३२- सन् सन फसली साम्यन्दी

1	2	3	4	5	6	खरीफ			क्षेत्रफल			दो फसली क्षेत्रफल		अतिरिक्त भूमि		खेत के पूरे बड़े हुए पेड़ों की संख्या	21			
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

सर्वेक्षण के लिए  
14-8-2024  
ज्वालामुखी  
तहसील  
जिला हरिद्वार

खासरी संशुद्धि एण्ड काब्स, ज्वालामुखी, हरिद्वार

सेवा में,

श्री मान मुख्य जिला उद्यान अधिकारी महोदय, हरिद्वार।  
जिला- हरिद्वार।

श्री मान जी,

निवेदन यह है कि प्रार्थिया खाता खतौनी नम्बर- 67  
खसरा नम्बर- 335/1 रकबई-0.968है0 व खसरा नम्बर- 335/2म0, रकबई  
0.763है0 स्थित मौजा- बहादुराबाद, परगना ज्वालापुर तहसील व जिला  
हरिद्वार की मालिक एवं स्वामिनी है। श्री मान जी हमारी उपरोक्त  
सम्पत्ति में आम का बाग लगा हुआ है जिसमें कुल 25 पेड आम के खडे हुए  
जो कि बहुत अधिक पुराने है और जिनकी उम्र करीब 55-60 साल है इस  
कारण यह पेड फसल नहीं देते है जिस कारण से मैं अपनी सम्पत्ति से पूर्णतया  
लाभान्वित नहीं हो पा रही हूँ इसलिए प्रार्थिया उपरोक्त 25 पेड आम  
के कटवाकर उनके स्थान पर नई किस्म के अच्छे पेड लगाना चाहती है जिसके  
लिए अनुमति प्रदान की जानी आवश्यक एवं प्रार्थनीय है।

अतः श्री मान जी से प्रार्थना है कि उपरोक्त तथ्यों को मद्देनजर  
रखते हुए प्रार्थिया को उसकी सम्पत्ति में खडे आम के 25 पेड कटवावे व  
उसके स्थान पर नई किस्म के अच्छे पेड लगाने की अनुमति प्रदान करने की  
कृपा करें, आपकी अतिकृपा होगी।

दिनांक- 09/10/2024

प्रार्थिया

Dipika Tyagi

दीपिका त्यागी पत्नी श्री मुदित कुमार त्यागी  
निवासी- 01, निकट सोन्धी नर्सिंग होम म्यूर  
विहार आर्य नगर ज्वालापुर तहसील व जिला  
हरिद्वार।



सत्यमेव जयते




IN-UK50047424718149W

INDIA NON JUDICIAL


Government of Uttarakhand

e-Stamp


Certificate No. : IN-UK50047424718149W  
 Certificate Issued Date : 09-Oct-2024 10:20 AM  
 Account Reference : NONACC (SV)/ uk1304904/ ROSHNABAD/ UK-HD  
 Unique Doc. Reference : SUBIN-UKUK130490407111021501917W  
 Purchased by : DIPIKA TYAGI  
 Description of Document : Article 4 Affidavit  
 Property Description : NA  
 Consideration Price (Rs.) : 0  
 (Zero)  
 First Party : DIPIKA TYAGI  
 Second Party : SHAKSHAM ADHIKARI  
 Stamp Duty Paid By : DIPIKA TYAGI  
 Stamp Duty Amount(Rs.) : 10  
 (Ten only)



शुद्धि कुमारी, पी. नं. 252/16  
 पञ्चपुरी, बिहार, हरिद्वार



13030  
 DiPIka Tyagi  
 शुद्धि कुमारी



सम्झा:- श्री मान मुख्य जिला उद्यान अधिकारी महोदय, हरिद्वार, हरिद्वार  
 शुद्धि कुमारी निम्नलिखित:- दीपिका त्यागी पत्नी सुदित कुमार त्यागी निवासी-  
 01, निक्ट सोन्धी नर्सिंग होम म्यूर बिहार आर्य नगर  
 ज्वालापुर, तहसील व जिला हरिद्वार।

मै शुद्धि कुमारी निम्न कथन करती हूँ कि:-

शुद्धि कुमारी यह कि मेरा उपरोक्त नाम एवं पता सबसच व सही है।

DiPIka Tyagi

## Statutory Alert:

1. The authenticity of the Stamp certificate should be verified at the time of stamp duty or through Stamp Duty App or Lock Hearing.  
 Any discrepancy in the details on the Certificate and as available online through the Stamp Duty App or Lock Hearing should be reported to the concerned authority on the basis of the certificate.

॥ 2 ॥

॥ 2 ॥ यहकि शमथकर्ता खाता खतौनी नम्बर- 67 के खसरा नम्बर- 335/1, रकबई-0.968 है व खसरा नम्बर- 335/2 म 0, रकबई- 0.76 3 है 0 स्थित मौजा- बहादुराबाद, पसगना ज्वालापुर, तहसील व जिला हरिद्वार की मातृक एवं स्वायत्त है।

॥ 3 ॥ यहकि श्री मान जी हमारी उपरोक्त सम्पत्ति में आम का बाग लगा हुआ है जिसमें कुल 25 पेड़ आम के खड़े हुए हैं जो कि बहुत ही पुराने हैं और अधिक पुराने होने के कारण यह फसल नहीं देते हैं जिस कारण से मैं अपनी सम्पत्ति से पूर्णतया लाभान्वित नहीं हो पा रही हूँ इसलिए उक्त पेड़ों को कटवाकर उनके स्थान पर नई किस्म के अच्छे पेड़ लगाना चाहती हूँ जिसके लिए अनुमति प्रदान की जानी आवश्यक एवं प्रार्थनीय है।

यहकि मेरे उपरोक्त शमथत्र का कुल कथन सत्य व सही है कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है और ना ही झूठ बोला गया है ईश्वर सच बोलने में मेरी मददकरे।

दिनांक- 09/10/2024

ह 0 शमथकर्ता

Dipika Tyagi

ह 0 शमथकर्ता

Dipika Tyagi

प्रमाणित

श्रीमान शर्मा  
सहायक मजदूर, हरिद्वार

समदीय करती

09/10/24

## कार्यालय मुख्य उद्यान अधिकारी, हरिद्वार

156/पातन जांच/2024-25  
उद्योग समिति के सदस्य।

दिनांक 25/10/2024

प्रभारी, उद्यान सचल दल केन्द्र  
बहादुराबाद, हरिद्वार।

विषय:- श्रीमति दीपिका त्यागी पत्नी श्री मुक्ति कुमार त्यागी निवासी 01 निकट सोन्धी नर्सिंग होम मयूर विहार  
आर्य नगर ज्वालापुर, जिला हरिद्वार, के आम बाग में 25 आम वृक्षों पातन हेतु जांच आख्या के सम्बन्ध  
में।

उपरोक्त विषयक निम्नलिखित आवेदन पत्र मूल रूप में संलग्नको सहित प्रेषित करते हुये आपको  
निदेशित किया जाता कि आप प्रश्नगत वृक्षों के पातन हेतु उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976(उत्तराखण्ड  
राज्य में यथाप्रवृत्त) तथा वन विधि मार्ग दर्शिका में प्रदत्त निर्देशों के आलोक में स्वयं स्थलीय निरीक्षण करते हुये  
निम्नलिखित विन्दुओं पर अपनी लिखित आख्या एवं पातन हेतु अनुज्ञा देय है अथवा नहीं स्पष्ट करना सुनिश्चित  
करें।

- 1- प्रार्थी कृषि योग्य उस भूमि का स्वामी है जिस पर खड़े वृक्षों के पातन हेतु आवेदन किया गया है।
- 2- प्रार्थी द्वारा संलग्न किये गये पहचान पत्र को मूल प्रति से मिलान किया जाये।
- 3- प्रश्नगत भूखण्ड पर खड़े कुल वृक्षों की संख्या तथा पातन योग्य वृक्षों की संख्या स्पष्ट की जाये।
- 4- प्रश्नगत वृक्ष पातन योग्य क्यों है कारण सहित स्पष्ट किया जाना आवश्यक है।
- 5- प्रार्थी द्वारा पूर्व में भी वृक्ष पातन किये गये हैं यदि हों तो विवरण प्रस्तुत करें।
- 6- पातन योग्य वृक्षों के मौके पर प्रार्थी के साथ आप अपना जियो टैग लोकेशन के साथ फोटो संलग्न करें।
- 7- पातन की अनुज्ञा यदि नियमानुसार जारी की जाती है तो पातन उपरान्त भी जियो टैग का फोटो संलग्न  
करना आवश्यक होगा।
- 8 -यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पातन अनुज्ञा लेने वाले की भूमि उसी के नाम की दर्ज हो।
- 9- आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रपत्रों की भलीभाँति जाँच कर ली जाये।
- 10-पातन अनुज्ञा तथा पातन उपरान्त नियमानुसार पौध रोपण की जियो टैग फोटो भी पातन के 15 दिन के  
अन्तर्गत प्रस्तुत करें।
- 11-आवेदक द्वारा जिस उद्यान से वृक्षों के पातन हेतु अनुमति मांगी जा रही है उस उद्यान का नक्शा नजरिया  
संलग्न करते हुये बाग में स्थित समस्त वृक्षों की संख्या प्रदर्शित कर, पातन हेतु अनुमति मांगे जाने वाले वृक्षों  
को चिन्हित करना आवश्यक होगा, साथ ही बाग के चारों दिशाओं में किस कृषक की भूमि है का भी अंकन  
किया जाय तथा निरीक्षण के समय वागस्वामी के हस्ताक्षर कराना भी आवश्यक होगा।
- 12-मूल आवेदन पत्र संलग्नको सहित जाँच आख्या के साथ मूल रूप में इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।
- 13 -इस आदेश में उल्लेखित फलदार वृक्ष की संख्या से अधिक वृक्षों के पातन किये जाने पर यह स्वीकृति स्वतः  
निरस्त समझी जायेगी एवं नियम संगत वैधानिक कार्यवाही अपनाई जायेगी एवं भूमि पर किसी भी प्रकार के  
वाद/विवाद की स्थिति को यदि आवेदनकर्ता के द्वारा अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में नहीं लाया जाता है या  
जानबूझकर छिपाया जाता है तो पातन अनुज्ञा निरस्त कर दी जाएगी। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं  
आवेदनकर्ता की होगी।
- 14 - सही/सटीक निरीक्षण किये जाने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबन्धित प्रभारी की होगी। सही निरीक्षण न करने पर  
संबन्धित प्रभारी स्वयं उत्तरदायी होगा एवं किसी भी विपरीत परिस्थिति के उत्पन्न होने पर संबन्धित पर  
आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

संलग्न:- मूल आवेदन पत्र संलग्नको सहित

012-1111

मुख्य उद्यान अधिकारी  
हरिद्वार

0/c 211

निजी फल वृक्षों के पातन हेतु निरीक्षण आख्या का प्रारूप

नाम- दीपिका वर्मा  
 पता- 810 श्री सतीश चण्डी  
 स्थान- मुरविहार आर्यनगर, जवानपुर मौजा बहादुराबाद - 9837100431  
 आवेदन पत्र को अनुसूचित क्षेत्र में कृत वृक्षों की संख्या 25  
 आवेदन द्वारा पातन हेतु आवेदित वृक्षों की संख्या 25  
 सम्बन्धित क्षेत्र के साफदार/सामने का नाम- बहादुराबाद  
 पातन हेतु आवेदक द्वारा नामित निरीक्षक का नाम व पता- सुनील शर्मा, पितानवालीपुर  
 निरीक्षणकर्ता का नाम व पदनाम- पवन चौधरी - सिरीक्षक  
 कार्यालय का नाम व पता- उद्यान संचालक दल केन्द्र - बहादुराबाद  
 1- प्रार्थी भूमि योग्य उस भूमि का ज्ञान है जिस पर खड़े वृक्षों के पातन हेतु आवेदन किया गया है।  
 2- प्रार्थी द्वारा संलग्न किये गये पहचान पत्र को मूल प्रती से मिलान किया गया  
 3- प्रथमतः सूचना संख्या 335/1, 335/2 आदि के 25 वृक्ष खड़े हैं तथा आवेदन 25 वृक्षों के समावेश आदि के 25 वृक्ष पातन योग्य पाये गये हैं।  
 4- प्रथमतः वृक्षों के पातन किये जाने का शोध गारण का सर्वेक्षण व इसके पैसे रोके से करिये हैं।  
 (कैद पत्रों की प्रती पर कर्मक का भी समावेश है, याग की आवश्यक व पत्र 42-45 तक स्थान है) अतः पातन की संस्तुति की जाती है। कुछ कुमोर्विषयों परीक्षा है।

- 5- पातन हेतु योग्य वृक्षों की उम्र 60 वर्ष से कम
- 6- नदी के तट पूर्व में भी वृक्ष पातन किये गये हैं यदि-तों तो उसका पूर्ण विवरण...
- 7- पातन योग्य वृक्षों के मोकों पर प्रार्थी के साथ निरीक्षणकर्ता का लिखित टैग लगाकरन के साथ फोटो संलग्न
- 8- पातन की अनुज्ञा यदि नियमानुसार जारी की जाती है तो पातन उपरान्त भी जिनके टैग का फोटो प्रस्तुत कर दिया जायेगा
- 9- आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रपत्रों की भर्ती भौति जांच कर ली गई है।
- 10- उद्यान का नक्शा नजरिया संलग्न

11- पातन योग्य वृक्षों का विवरण

क्र.सं.	प्रकृति	पातन हेतु संस्तुत किये गये वृक्षों का विवरण									अन्य/किं
		0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7 से अधिक	कुल योग	
01	वृक्ष	-	-	-	-	4	8	10	3	25	
02										1	
	योग					4	8	10	3	25	

12- निरीक्षण के समय याग स्वामी/जारी का विवरण- निरीक्षणकर्ता के हस्ताक्षर

1- नाम- दीपिका वर्मा  
 2- पता का नाम- सतीश चण्डी  
 3- पता- मुरविहार, आर्यनगर  
 4- फोन- 9837100431  
 कार्यालय- प्रभारी उद्यान संचालक दल केन्द्र  
 पत्र संख्या 102/पातन/उद्यान दिनांक 05-12-2024  
 प्रतिनिधि- मुख्य उद्यान अधिकारी गणेश्वर की राय में निरीक्षण आदेश संख्या 3289 दिनांक 19/12/24  
 आवेदन के मूल दरतावेज सहित निरीक्षण आख्या की मूल प्रती संलग्न कर आवेदन कार्यवाही हेतु प्रेषित  
 वृक्षों का निरीक्षण समिति द्वारा किया गया है।  
 यह जोच आदेश उपरोक्त उद्देश्य के लिए है।

हस्ताक्षर- प्रभारी उद्यान संचालक दल केन्द्र बहादुराबाद

नाम- प्रभारी उद्यान संचालक दल केन्द्र बहादुराबाद

आदेश

भारतीय संविधान की धारा 299 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश/उत्तराखण्ड सरकार की वेज़ापति संख्या 765/7-127/1965 दिनांक 27.04.1983 एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के साथ पटित 3-6 में (उत्तर प्रदेश/उत्तराखण्ड सरकार के राज्यपाल के अनुसार) दिये गये अधिकारों के अनुसार अधोहस्ताक्षरी प्रतिभूति वचनबद्ध करने एवं अवमुक्त करने हेतु प्राधिकृत है।

उपरोक्त क्रम में श्रीमति दीपिका त्यागी पत्नी श्री सतीश त्यागी निवासी मयूरविहार आर्यनगर, ज्वालापुर मौजा बहादराबाद, जिला हरिद्वार ने अपने आवेदन पत्र दिनांक 09.10.2024 के द्वारा 25 आम के पातन हेतु आवेदन किया गया है, पातन हेतु आवेदित 25 वृक्षों का निरीक्षण प्रभारी उद्यान सचल दल केन्द्र, बहादराबाद से कराया गया है निरीक्षण आख्यानुसार आवेदित वृक्षों के सापेक्ष कुल 25 आम वृक्ष पातन योग्य पाये गये, सम्बन्धित बाग स्वामी, पातन के उपरान्त पुराने पेड के एवज में नये पेड लगाने हेतु रू0 250.00 प्रति वृक्ष की दर से कुल 25 वृक्ष की धनराशि रू0 6250.00 मुख्य उद्यान अधिकारी हरिद्वार के पक्ष में बन्धक कराते हुये डाकघर के बचत पत्र/बैंक सावधि जमा, मूल रूप से जमा करना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त आदेश संबन्धित प्रभारी द्वारा प्राप्त संस्तुति के क्रम में जारी की जा रही है। इस आदेश में उल्लेखित फलदार वृक्ष की संख्या से अधिक वृक्षों के पातन किये जाने पर यह स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी एवं नियम संगत वैधानिक कार्यवाही अपनाई जायेगी एवं भूमि पर किसी भी प्रकार के वाद/विवाद की स्थिति को यदि आवेदनकर्ता के द्वारा अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में नहीं लाया जाता है या जानबूझकर छिपाया जाता है तो पातन अनुज्ञा निरस्त कर दी जाएगी। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आवेदनकर्ता की होगी एवं यदि पुराने पेडों के एवज में नये पेड नहीं लगाये जाते हैं तो बचत पत्र विभाग के नाम जब्त की जायेगी।

मुख्य उद्यान अधिकारी  
हरिद्वार।

कार्यालय मुख्य उद्यान अधिकारी हरिद्वार

पत्रांक 3662/पातन-जमानत/2024-25 दिनांक हरिद्वार

10/12/2024

- प्रतिलिपि:- 1- श्रीमति दीपिका त्यागी पत्नी श्री सतीश त्यागी निवासी मयूरविहार आर्यनगर, ज्वालापुर मौजा बहादराबाद, जिला हरिद्वार को उक्तानुसार कार्यवाही हेतु प्रेषित।  
2- डाकपाल, डाकघर, बहादराबाद को सूचनार्थ प्रेषित।  
3- शाखा प्रबन्धक, बहादराबाद को सूचनार्थ।

मुख्य उद्यान अधिकारी  
हरिद्वार।

10/12/24

## कार्यालय - मुख्य उद्यान अधिकारी हरिद्वार।

पातन अनुज्ञा संख्या

/फ0व0पा0/2024-25

दिनांक 16/12/2024 हरिद्वार

2024

## पातन अनुज्ञा

उत्तराखण्ड शासन वन एवं पर्यावरण अनुभाग-3 के पत्र संख्या 927/X-3-12/दिनांक 03.12.2012 एवं उत्तर प्रदेश नवीनतम 45/1976 यथावत्त की धारा-3 की उपधारा(III) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी निम्नलिखित को निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन निम्नलिखित की जाती है।

1-अधोलिखित प्रार्थी श्रीमति दीपिका त्यागी पत्नी श्री सतीश त्यागी निवासी मयूरविहार, आर्यनगर ज्वालापुर मौजा बहादुराबाद, जिला हरिद्वार ने अधोहस्ताक्षरी से अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 09.10.2024 के द्वारा अपनी निजी भूमि में स्थित बाग से फल वृक्षों के पातन की अनुज्ञा मांगी गई है।

2-अधोहस्ताक्षरी ने प्रभारी उ0स0द0 केन्द्र बहादुराबाद से बाग/पातन क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण करा लिया है व स्वयं को संतुष्ट कर लिया है।

3-अधोलिखित पेड़ प्रार्थी की व्यक्तिगत भूमि में स्थित बाग में खड़े हैं।

4-ये पेड़ पूर्णतः प्रतिबन्धित प्रजाति के हैं तथा हरे हैं। ये फलदार/गुल्यवान प्रकार के हैं, जो पुराने/विभिन्न प्रकार के रोगों से रोगग्रस्त हैं जिनकी फलदाई क्षमता में भरपूर गिरावट आ चुकी है तथा बाग स्वाभी के लिये अलाभकारी है।

5-अतः अधोलिखित प्रार्थी को इन वृक्षों के पातन की अनुज्ञा प्रभारी उ0स0द0 केन्द्र बहादुराबाद हरिद्वार की संस्तुति के आधार पर एतद्वारा दी जाती है तथा अनुज्ञा जारी होने के दिनांक से 15 दिन की अवधि के लिये वैध होगी। एवं अनुज्ञा में उल्लेखित संख्या से अधिक पातन करने पर यह स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी एवं विधी संगत कार्यवाही अपनायी जायेगी। किसी भी प्रकार के वाद/विवाद की स्थिति को अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में नहीं लाया जाता है या जानबूझकर छिपाया जाता है तो इस स्थिति में पातन अनुज्ञा निरस्त समझी जायेगी।

6-उस भूमि का विवरण जिस पर पातन हेतु अनुज्ञा दी जानी है(खसरा खतौनी की नवीनतम सत्यापित प्रतिलिपि/शपथ-पत्र व नक्शा) जो इस कार्यालय में प्रस्तुत किये गये हैं का विवरण निम्न प्रकार है:-

जिला	तहसील	थाना	ग्राम	खाता/खतौनी/खसरा नम्बर
हरिद्वार	हरिद्वार	बहादुराबाद	बहादुराबाद	335/1 व 335/2

7- वृक्षों का खसरा नम्बरवार विवरण जिनके पातन की अनुज्ञा दी जाती है:-

बाग स्वामी का नाम व पता	खसरा संख्या	खसरे में कुल वृक्षों की संख्या तथा प्रजाति	वृक्षों का विवरण (गोलाई फिट में)								योग
			0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7 से ऊपर	
दीपिका त्यागी पत्नी श्री सतीश त्यागी निवासी मयूरविहार, आर्यनगर ज्वालापुर मौजा बहादुराबाद, जिला हरिद्वार	335/1	25 आम बीजू	00	00	00	00	04	08	10	03	25
	335/2		00	00	00	00	00	00	00	00	00
योग-			00	00	00	00	04	08	10	03	25

8-प्रार्थी ने 250/प्रति पेड़ की दर से कुल 22 आम वृक्षों के सापेक्ष रु0 6250.00 जमानत इस उद्देश्य से अधोहस्ताक्षरी को निरूपित कर दी है कि प्रत्येक काटे गये वृक्षों के बदले दो वृक्ष सफलता पूर्वक लगायेगा। यह धनराशि रु0, 6250.00 इंडियन बैंक हरिद्वार के खाता संख्या0 7929810499 से दिनांक 10.12.2024 को जमा हो गई है। यह जमानत एक वर्ष पश्चात पौधों की सफलता का निरीक्षण करने के बाद ही वापस की जा सकती है। फल वृक्षों का निरीक्षण सम्बन्धित प्रभारी उ0स0द0 केन्द्र बहादुराबाद से कराने के उपरान्त विधिवत निकासी ली जाये।

9-यदि प्रार्थी द्वारा पेड़ पातन उपरान्त नये वृक्षों का रोपण न करके कालोनी का निर्माण किया जाता है तो आपकी जमानत धनराशि जब्त कर दी जायेगी। एवं विधी संगत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

10-पातन अनुज्ञा में दी गयी वृक्षों की संख्या से अधिक पेड़ काटने पर कृपक एवं आवेदन पत्र में अनुबन्धित ठेकेदार के विरुद्ध सम्बन्धित थाने में एफ0आई0आर0 की जायेगी।

मुख्य उद्यान अधिकारी  
हरिद्वार

पत्रांक 347B /उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रार्थी अथवा उनके प्रतिनिधि को उनके आवेदन पत्र दिनांक 09.10.2024 के कम में इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्तानुसार निर्धारित समय के अन्तर्गत पातन करना सुनिश्चित करें, निर्धारित समय के पश्चात अनुज्ञा स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी।
- 2- प्रभारी उ0स0द0 केन्द्र बहादुराबाद को इस निर्देश के साथ कि चिन्हित वृक्षों के पातन के उपरान्त मौकों का स्थलीय निरीक्षण कर इस बात की पुष्टि करेंगे कि बाग स्वाभी द्वारा मौकों पर पातन हेतु चिन्हित वृक्षों से अधिक वृक्षों का पातन तो नहीं किया गया है तथा पातन उपरान्त जी0ई0ओ0 टैग फोटो संलग्न करते हुये चिन्हित वृक्षों से अधिक वृक्षों का पातन तो उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 3- सम्बन्धित थानाध्यक्ष।
- 4- उपजिलाधिकारी हरिद्वार
- 5- प्रनागीय वनाधिकारी,वन प्रभाग हरिद्वार को सूचनार्थ प्रेषित।
- 6- वन क्षेत्राधिकारी बहादुराबाद

मुख्य उद्यान अधिकारी  
हरिद्वार



# कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार

दूरभाष/फैक्स 01334 228271, email : dfo\_hardwar@rediffmail.com  
पत्रांक : 3114 /23-3. हरिद्वार दिनांक : 20/12/2024

## पातन अनुज्ञा

श्रीमती दिपिका त्यागी पत्नी श्री मूदित त्यागी, निवासी-मयूर विहार ज्वालापुर, पो0 व थाना रानीपुर तहसील व जिला हरिद्वार के आवेदन पत्र के क्रम में उनके निजी नाप भूमि के खसरा सं0 335 में स्थित बहादुराबाद जिला हरिद्वार में खड़े सेमल(हरा खड़ा) प्रजाति के 01 वृक्ष के पातन हेतु वन क्षेत्राधिकारी, हरिद्वार रेंज द्वारा अपने पत्रांक-286/23-3, दिनांक 22.11.2024 की रिपोर्ट/संस्तुति पर उप प्रभागीय वनाधिकारी, हरिद्वार द्वारा संस्तुति कर प्रेषित की गई है। वन क्षेत्राधिकारी, हरिद्वार के पत्रांक 354/23-3, दिनांक 18.12.2024 से छपान रिपोर्ट मय एन0एस0सी0/एफ0डी0आर0(सं0 7935439310) सहित इस कार्यालय को प्रस्तुत की गयी है। उपरोक्त संस्तुति एवं जाँच उपरान्त उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976, (उत्तराखण्ड में यथा-प्रवृत्त) की धारा-5 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न विवरणानुसार वृक्षों की पातन अनुमति एतद् निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है।

क्र0सं0	वृक्ष प्रजाति	व्यास वर्ग	कुल संख्या	अन्युक्ति
01	सेमल(हरा खड़ा)	9 से ऊपर	01	वन क्षेत्राधिकारी, हरिद्वार रेंज की जांच आख्यानानुसार उक्त वृक्ष काफी पुराना होने के कारण गिरने का खतरा बना हुआ है।

- 1- उक्त वृक्ष पातन की अनुमति निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन दी जाती है -
- पत्र जारी होने के बाद 07 दिन तक के लिए यह पातन अनुज्ञा वैध होगी। भू-स्वामी द्वारा निश्चित रूप से इस अवधि में वृक्षों का पातन करना होगा। उक्त 07 दिनों के बाद वृक्ष पातन हेतु कोई अवधि विस्तार नहीं दिया जायेगा।
  - उक्त वृक्षों की पातन अनुज्ञा उत्तराखण्ड शासन वन अनुभाग-3 संख्या 115/X-3-24/05(11)/2022, दिनांक 11 मार्च 2024 द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार अपना समुपयोज्य व्यास प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्गत की जा रही है।
  - पत्र जारी होने के 01 माह के अन्दर उक्त वृक्षों के पातन के पश्चात आवश्यकतानुसार उत्तराखण्ड इमारती लकड़ी और अन्य वन उपज अभिवहन नियमावली-2012 के प्राविधानानुसार प्रकाश की निकासी हेतु सम्बन्धित रेंज कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
  - उक्त पेड़ों के पातन स्थलों का किसी भी समय वन विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी/कर्मचारी द्वारा निरीक्षण किया जा सकेगा।
  - उक्त वृक्षों के पातन हेतु भू-स्वामी द्वारा अपने आवेदन पत्र में किसी भी पत्र में तथ्य का किसी भी मय असत्य पाये जाने पर पातन अनुज्ञा को निरस्त माना जायेगा।
  - उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम-1976 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) की धारा-7 के प्राविधानानुसार प्रत्येक पातित वृक्ष के सापेक्ष दुगने संख्या में पौधों का रोपण चिह्नित स्थलों पर भू-स्वामी द्वारा स्वयं के व्यय पर किया जायेगा। रोपित पौधों की देख-रेख सम्बन्धित भू-स्वामी द्वारा किया जायेगा। वृक्षारोपण हेतु स्थल चयन प्रजाति का चयन व रोपित पौध की जीवितता सम्बन्धित वन क्षेत्राधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
  - वृक्ष के स्वामित्व को लेकर यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो विभाग इसका जिम्मेदार नहीं होगा।
  - पातन सूर्योदय के बाद व सूर्यास्त तक ही मान्य होगी।
  - यह सुनिश्चित कर लेवे कि यह पातन अनुज्ञा केवल उक्त वृक्ष के लिये ही है। इसकी आड़ में अन्य वृक्षों का पातन न हो।
  - आवेदक को वृक्षों के पातन की अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ दी जाती है कि पातन उपरान्त सम्बन्धित वन क्षेत्राधिकारी व उप प्रभागीय वनाधिकारी के निरीक्षण के पश्चात ही पातित वृक्षों की जड़ों का खुदान किया जाये।
  - शर्तों का उल्लंघन होने पर पातन अनुज्ञा स्वतः निरस्त हो जायेगा एवं समस्त प्रकाश को अवैध मानते हुए कार्यवाही की जायेगी।

पत्रांक : 3114 / (1) तददिनांकित।  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- उप प्रभागीय वनाधिकारी, हरिद्वार।
- उप जिलाधिकारी, हरिद्वार।
- वन क्षेत्राधिकारी, हरिद्वार रेंज।
- सम्बन्धित थाना प्रभारी।
- श्रीमती दिपिका त्यागी पत्नी श्री मूदित त्यागी, निवासी-मयूर विहार ज्वालापुर, पो0 व थाना रानीपुर तहसील व जिला हरिद्वार।

प्रभागीय वनाधिकारी,  
हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार

प्रभागीय वनाधिकारी,  
हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार

कार्यालय मुख्य उद्यान अधिकारी हरिद्वार।

पत्रांक 459 / विविध / 2022-23 / दिनांक 27/05/2022।  
सेवामें,मुख्य कृषि अधिकारी  
हरिद्वार।

विषय- सहारा इण्डिया लि0 में ग्राम बहादुराबाद तहसील व जिला हरिद्वार में आम के बाग में पेड सूखाने वाली दवा/तेजाब द्वारा 50 पेडों को सूखाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उक्त विषयक आपके कार्यालय पत्रांक 296/मु0कृ0अ0/नमामि गंगे/2022-23/ दिनांक 21.05.2022 के क्रम में अवगत कराना है कि प्रार्थी सुनील कुमार चौहान, भारत माता अभिनन्दन संगठन उत्तराखण्ड बहादुराबाद के शिकायती पत्र पर प्रभारी उद्यान सचल दल केन्द्र बहादुराबाद द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 283/निरीक्षक/दिनांक 28.03.2022 को अद्योहस्ताक्षरी द्वारा दिये गये मौखिक निर्देशों के क्रम में बहादुराबाद बाइपास हाइवे पर सहारा ग्रुप के आम बागो का स्थलीय निरीक्षण किया गया जिसमें बाग मालिको द्वारा बाग पर जहरीली रसायन स्प्रे किया गया की सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की गई तदपश्चात बाग मालिक ए0एस0 बिष्ट निवासी एफ-102 लक्ष्मीपार्क नागलोई दिल्ली द्वारा अपने बाग में टेकेदार द्वारा मेरी अनुपस्थिति में आम के वृक्षों का पातन कर देने की सूचना इस कार्यालय को दिनांक 06.05.2022 को दे दी गई जिस पर प्रभारी बहादुराबाद द्वार रू0 5000.00 प्रति वृक्ष की दर से 83 वृक्ष का अर्थदण्ड जमा कराने की संस्तुति की गई के क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक 267/अवैध पातन/दिनांक 06.05.2022 को बाग मालिक श्री ए0एस0 बिष्ट निवासी एफ-102 लक्ष्मीपार्क नागलोई दिल्ली को अर्थ दण्ड (रू0 415000.00)जमा करने का आदेश निर्गत किया गया तथा अर्थदण्ड भी विभागीय लेखाशीर्षक में जमा करा दिया गया।

अतः उक्त प्रकरण में कि गयी कार्यावाही की सूचना प्रेषित की जा रही है।

संलग्न-उपरोक्त पत्रांक की छाया प्रति-3

भवदीय

मुख्य उद्यान अधिकारी

हरिद्वार।

पत्रांक 459 / तददिनांकित।

प्रतिलिपि- श्री सुनील कुमार चौहान, भारत माता अभिनन्दन संगठन उत्तराखण्ड बहादुराबाद-249402 को सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य उद्यान अधिकारी

हरिद्वार।

प्रेषक,

मुख्य कृषि अधिकारी,  
हरिद्वार।

सेवा में,

मुख्य उद्यान अधिकारी,  
हरिद्वार।

कॉन्स (प्राक्त)  
सुनील कुमार  
21/5/22

पत्रांक :- 296 / मु0कृ0अ0 / नमामि गंगे / 2022-23 / दिनांक- 21-5-2022

विषय :-

सहारा इण्डिया लि0 में ग्राम बहादुराबाद तहसील व जिला हरिद्वार में आम के बाग में पेड़ सूखाने वाली दवा/तेजाब द्वारा 50 पेड़ों को सूखाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि प्रार्थी सुनील कुमार चौहान, भारत माता अभिनन्दन संगठन, उत्तराखण्ड बहादुराबाद द्वारा उक्त के सम्बन्ध में जो शिकायत प्रार्थी द्वारा की गई है। प्रार्थी का शिकायती पत्र मूलरूप में आपको इस आशय से प्रेषित है कि उक्त प्रकरण पर आवश्यक कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(विजय देवराड़ी)  
मुख्य कृषि अधिकारी,  
हरिद्वार।

पत्रांक-...../ उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि:- श्री सुनील कुमार चौहान, भारत माता अभिनन्दन संगठन, उत्तराखण्ड बहादुराबाद-249402 को उनके शिकायती पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य कृषि अधिकारी,  
हरिद्वार।

श्रीमान मुख्य सचिव,  
उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून।

मुख्य व्यक्ति अधिकारी

हरिद्वार

दिनांक : 20.04.22

मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग-2

संख्या-GE(C) 3993 XV-2/2022(1)

दिनांक 04/05/2022

विषय : सहारा इण्डिया लि0 ने ग्राम बहादाबाद तहसील व जिला हरिद्वार में आम के बाग में पेड़ सुखाने वाली दवा/तेजाब द्वारा 50 पेड़ों को सुखाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

निवेदन है कि सहारा इण्डिया लि0 ने ग्राम बहादाबाद, तहसील व जिला हरिद्वार के लगभग 500 बीघे जमीन वर्ष 2005 में खरीद ली गई जिसमें अधिकांश में बाग, आम के पेड़ खड़े हैं। सहारा इण्डिया लि0 कम्पनी ने बाग आम को समाप्त करने तथा वहां पर रेजीडेन्शल कालोनी के लिए बाग आम के 50 पेड़ों को जो खसरा नं0 316, 317, 318, 319 व 320 में दर्ज हैं को दवाई डालकर सुखा दिया है जिस पर ब्लाक बहादुराबाद के उद्यान प्रभारी मासूम अली ने घूस लेकर मामले को रफा-दफा कर दिया है। इसी प्रकार वन विभाग बहादुराबाद हरिद्वार ने इस पर कोई भी कार्यवाही नहीं की है।

अतः निवेदन है कि उक्त खसरा नम्बरों को अवलोकन कर सहारा इण्डिया लि0, उद्यान विभाग, वन विभाग पर उचित कार्यवाही करने की कृपा करें।

धन्यवाद !

प्रतिलिपि :

1. माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, हरिद्वार
3. सचिव (वन) देहरादून।
4. मुख्य वन संरक्षक, देहरादून।
5. वन अधिकारी हरिद्वार
6. मुख्य उद्यान अधिकारी, रोशनाबाद, हरिद्वार

प्रार्थी

(सुनील कुमार चौहान)

भारत माता अभिनन्दन संगठन

उत्तराखण्ड, बहादुराबाद - 249402

298  
17/05/22

श्री संजय कुमार वर्मा

CAO  
11/5

Kindly forward to CAO -  
Haridwar forward.

CAO

कार्यालय : प्रभारी उद्यान सचल फल केन्द्र वहादरावाड  
पताकं २४३ / वना प्रसिध्दक / २०८१-२२ / दिनांक २४-३-२०२३  
सेवा में

मुख्य उद्यान अधिकारी  
महोदय

विषय : साहरा वन समूह के नाम वना वन प्रसिध्दक उपरान्त साहरा का सेवा  
विषयक ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके द्वारा दिने गये मौखिक निर्देशों के क्रम में मेरे द्वारा  
वहादरावाड वहादरावाड हाइवे पर साहरा वन समूह के नाम वना का स्वतंत्र प्रसिध्दक  
किया गया जिसमें वना मास्टरकी द्वारा अपने नाम वना पर अहरीली वना का  
रूप दिने जाने से सूचना प्राप्त हुई थी ।

उक्त कार्य में प्रसिध्दक के दायरे पाया गया है कि वना के करीब १००  
वना पर किसी रसायन (अज्ञात) का रूप किया गया है जिस कारण पौधों के  
पत्तियों पीली पड़कर मुड़ने लगी है। अधीनस्थानी द्वारा मोड़ पर उपरोक्त रूप व्यक्त  
से वना की गयी जिसमें अपना नाम श्री. प्रेमसिंह निवासी - नोदहाड बताया गया है।  
श्री. प्रेम सिंह से वना करने पर उनके द्वारा बताया गया है कि उक्त वना  
वना पर लगभग ३ दिन पूर्व में रूप किया गया है। दिसकाव दिने गये रसायन की जांच  
जुनसे उदा नहीं है गयी है। इनके द्वारा बताया गया है वना मास्टरकी द्वारा उनको वना  
की दृश्य रेखा के लिए छोड़ा गया है। उक्त व्यक्त द्वारा यह भी अज्ञात कराया गया है  
कि उक्त साहरा वन समूह सिध्दक वना के मालिक पचा ६ व्यक्त हैं जो कही जा  
रहे हैं।

अतः महोदय को अज्ञात कारण है कि दिसकाव दिने गये रसायन की स्पष्ट  
जांचकी उपलब्ध नहीं है। उक्त सूचना महोदयकी सेवा में साहरा सूचना  
रूप का आवश्यक कार्रवाई हेतु उपरि !

प्रतिक्रिया :- वाना समूह वना वहादरावाड, हाइडर की सेवा में साहरा सूचना  
उपरि !

प्रभारी  
उ०स०द०के  
वहादरावाड  
प्रभारी  
उ०स०द०के  
वहादरावाड

## अर्थ दण्ड आदेश

श्री ए0 एस0 बिष्ट निवासी एफ-102 लक्ष्मीपार्क नागलोई दिल्ली मौजा स्थित बहादरावाद जिला हरिद्वार द्वारा बिना विभाग की अनुमति के अपने बाग से 83 जीवित आम वृक्षों का पातन किये जाने पर की गई विभागीय कार्यवाही में दोषी पाये गये, उक्त जीवित वृक्षों को सक्षम प्राधिकारी की लिखित अनुज्ञा के अभाव में पातन किया गया है, जो कि भारतीय वन (उत्तरांचल संशोधन) संरक्षण अधिनियम की धारा 42 की उपधारा (1) का स्पष्ट उल्लंघन है।

अतः अधिनियम के उल्लंघन का दोषी पाये जाने पर मैं मुख्य उद्यान अधिकारी, हरिद्वार शासनादेश संख्या 927/IX-3-2012 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री ए0 एस0 बिष्ट निवासी एफ-102 लक्ष्मीपार्क नागलोई दिल्ली मौजा स्थित बहादरावाद के, विरुद्ध 83 जीवित वृक्षों के पातन पर रू0, 5000.00 प्रति वृक्ष की दर से कुल धनराशि रू0, 415000.00 (चार लाख पन्द्रह हजार) का अर्थ दण्ड निर्धारित करते हुये उन्हे निर्देशित करता हूँ कि वे तत्काल रू0 415000.00 (चार लाख पन्द्रह हजार) मात्र रोकडिया कार्यालय मुख्य उद्यान अधिकारी कमरा न0-78 विकास भवन, रोशनाबाद में जमा करना सुनिश्चित करें।

(नरेन्द्र कुमार यादव)  
मुख्य उद्यान अधिकारी,  
हरिद्वार

कार्यालय मुख्य उद्यान अधिकारी हरिद्वार

पत्रांक 267 / अवैध पातन / 2022-23 दिनांक हरिद्वार 06-05-2022

प्रतिलिपि:-1- श्री ए0 एस0 बिष्ट निवासी एफ-102 लक्ष्मीपार्क नागलोई दिल्ली मौजा स्थित बहादरावाद जिला हरिद्वार को उपरोक्तानुसार अनुपलनार्थ।

2- रोकडिया मुख्यालय को इस निर्देश के साथ कि रू0 415000.00 (चार लाख पन्द्रह हजार) मात्र श्री ए0 एस0 बिष्ट निवासी एफ-102 लक्ष्मीपार्क नागलोई दिल्ली मौजा स्थित बहादरावाद जिला हरिद्वार से प्राप्त कर विभागीय 'कैश रसीद उपलब्ध कराते हुये धनराशि विभागीय लेखाशीर्षक में जमा करना सुनिश्चित करें

3- प्रभारी उद्यान सचल दल केन्द्र बहादरावाद

4- थाना प्रभारी बहादरावाद हरिद्वार


मुख्य उद्यान अधिकारी,  
हरिद्वार  
06/05/22

सेवा में,  
प्रभारी उद्यान सचल दल  
केन्द्र बहादुराबाद

महोदय,  
आपको अवगत कराना है कि चिरायुइस्टेट एण्ड डेवलपमेंट प्रा०लि०/सायरस  
इस्टेट एण्ड रीयलिटी प्रा०लि०/दीपिशा रीयलिटी एण्ड लीजिंग  
प्रा०लि०/धनन्जय इस्टेट एण्ड रीयलिटी प्रा०लि०/देवदत्त इस्टेट एण्ड  
इन्वेस्टमेंट प्रा०लि०/ धर्मवीर डेवलपमेंट एण्ड रीयलिटी प्रा०लि०/ दत्तात्रेया  
इस्टेट एण्ड रीयलिटी प्रा०लि०/सहारा इण्डिया/ए०एस० बिष्ट जमीन पर आम  
बाग स्थित बहादुराबाद से ठेकेदार को रोग ग्रस्त एवं सूखे दो से तीन पेड़ों को हटाने  
के लिए कहा गया था परन्तु ठेकेदार के द्वारा मेरी अनुपस्थिति में आम के वृक्षों का भी  
पातन कर दिया गया है जिसकी हमें जानकारी नहीं थी। अतः महोदय से निवेदन है  
कि उक्त पातन किये गये पेड़ों का अर्थदण्ड/जुर्माना जमा करा कर उक्त प्रकरण यहीं  
समाप्त करने की कृपा करें तथा भविष्य में इस प्रकार की पुनर्वृत्ति नहीं की जाएगी।

प्रा०लि०/५२ल  
at  
06/05/2022

प्रकरण  
उक्त के सापेक्ष अर्थात् आम वृक्ष  
पातन का प्रति प्रति अर्थदण्ड रु-50000-00  
की दर से कुल 83 आम वृक्षों का  
कुल अर्थदण्ड रु 83\*50000=4150000-00  
चार लाख पचास हजार के अर्थात् अर्थात्  
करने की संस्तुति की जाती है।  
प्रभारी  
उ०स०द०केन्द्र  
बहादुराबाद



निवेदक

ए०एस० बिष्ट

निवासी-एफ.102  
लक्ष्मीपार्क नांगलोई  
दिल्ली-110041

Mobile: 983710043  
9412998687

सेवा में,

श्री एस.एस.सन्धू जी  
मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड सरकार देहरादून।

कठरुण्ड पत्रांक

मु ३०३०  
26/4/22

सन्दर्भ :- पत्रांक / दिनांक 21.04.2022 का अवलोकन करें।

विषय :- सहारा इण्डिया लि० मुम्बई के ग्राम बहादुराबाद हरिद्वार में फलदार आम के 30 पेड़ काटने  
विषयक  
महोदय,

निवेदन है कि सहारा इण्डिया लि. मुम्बई की ग्राम व मौजा बहादुराबाद, तहसील व जिला हरिद्वार में लगभग 500 बीघे के जमीन निकट रघुनाथ मॉल एन.एच. 58 (334) बाईपास से लगी हुई है जो खसरा नं० 316, 317, 318 मौजा बहादुराबाद में स्थित है, दिनांक 05.04.2022 को उक्त कम्पनी ने 50 पेड़ पर दवाई डालकर हरे भरे आम के पेड़ों को सुखा दिया तथा उनमें से 30 पेड़ आम के दिनांक 22.04.2022 व 23.04.2022 को रात में काट दिये तगी जे.बी.सी. से जड़ उखाड़ कर उस स्थान पर जुताई कर दी ताकि निशानदेही मित जाये, यह स्थान बहादुराबाद थाने से 150 मीटर की दूरी पर स्थित है, हरे फलदार आम को काटने में थाना बहादुराबाद, वनाधिकारी हरिद्वार, उद्यान अधिकारी की सांठ-गांठ से पेड़ काटे जा रहे हैं तथा हरे आम के पेड़ों की लकड़िया कलियर शरीफ चिरान मशीन में बेचा जा रहा है।

अतः निवेदन है कि मौके पर जाकर इसकी जांच एस.आई.टी उत्तराखण्ड सतर्कता विभाग/ सी.बी.आई से कराकर थाना बहादुराबाद उद्यान विभाग व वन विभाग हरिद्वार के खिलाफ कठोर कार्यवाही करने की कृपा करें।

सादर धन्यवाद।

दिनांक 25.4.22

निवेदक

NK

नरेश कुमार  
सह सचिव

भारतमाता अभिनन्दन संगठन, उत्तराखण्ड  
बहादुराबाद हरिद्वार

प्रतिलिपि :-

1. श्री पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून।
2. प्रमुख वन संरक्षक, हॉफ वन अनुभाग-3 देहरादून।
3. पुलिस महानिदेशक, देहरादून।
4. पी.एम.ओ. नई दिल्ली
5. वन एवं पर्यावरण मन्त्रालय नई दिल्ली
6. पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड सतर्कता विभाग, देहरादून।
7. पुलिस अधिकारी, सी.बी.आई, देहरादून।
8. दैनिक अमर उजाला, देहरादून।
9. दैनिक नवभारत टाइम्स, देहरादून।

श्री नरेश कुमार, मुख्य उद्यान अधिकारी, बहादुराबाद, हरिद्वार

उदा में,

दिनांक : 21.4.22

श्रीमान मुख्य सचिव,

उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून।

विषय : सहारा इण्डिया लि० ने ग्राम-बहादराबाद तहसील व जिला हरिद्वार में आम के बाग में पेड़ सुखाने वाली दवा/तेजाब द्वारा 50 पेड़ों को सुखाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

निवेदन है कि सहारा इण्डिया लि० ने ग्राम बहादाबाद, तहसील व जिला हरिद्वार के लगभग 500 बीघे जमीन वर्ष 2005 में खरीद ली गई जिसमें अधिकांश में बाग, आम के पेड़ खेड़े हैं। सहारा इण्डिया लि० कम्पनी ने बाग आम को समाप्त करने तथा वहां पर रेजीडेन्शाल कालोनी के लिए बाग आम के 50 पेड़ों को जो खसरा नं० 316, 317, 318, 319 व 320 में दर्ज हैं को दवाई डालकर सुखा दिया है जिस पर ब्लाक बहादराबाद के उद्यान प्रभारी मासूम अली ने घूस लेकर मामले को रफा-दफा कर दिया है। इसी प्रकार वन विभाग बहादराबाद हरिद्वार ने इस पर कोई भी कार्यवाही नहीं की है।

अतः निवेदन है कि उक्त खसरा नम्बरों को अवलोकन कर सहारा इण्डिया लि०, उद्यान विभाग, वन विभाग पर उचित कार्यवाही करने की कृपा करें।

धन्यवाद!

प्रतिलिपि :

1. माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, हरिद्वार
3. सचिव, वन देहरादून।
4. मुख्य वन संरक्षक, देहरादून।
5. वन अधिकारी हरिद्वार
6. मुख्य उद्यान अधिकारी, रोशनाबाद, हरिद्वार

प्रार्थी

(सुनील कुमार चौहान)

भारत माता अभिनन्दन संगठन

उत्तराखण्ड, बहादराबाद

विद्युत/सूचना - C

क  
वागं

680

कार्यालय मुख्य उद्यान अधिकारी, हरिद्वार  
/शिकायत/2022-23/, दिनोंक हरिद्वार,

03/07/2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक  
जनपद हरिद्वार।

विषय:- शिकायती पत्र विषयक।

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय पत्रांक-शि0प्र0/एस0एस0पी0/ ओ0बी0न0-18/22/दिनोंक 12-4-2023 के क्रम में आवेदक श्री नरेश कुमार सह सचिव भारतमाता अभिनन्दन संगठन उत्तराखण्ड बहादुराबाद हरिद्वार दिनोंक 25-05-2022 द्वारा प्रेषित शिकायती पत्र की जाँच इस अधिष्ठान के अधीनस्थ ज्ये0उ0 निरी0 रुडकी व उ0निरी0 बहादुराबाद द्वारा करायी गयी (संलग्न छाया प्रति) जिसमें उद्यान अधिकारी द्वारा 5000.00प्रति पेड की दर से  $83 \times 5000 = 415000.00$  का जुर्माना जमा कराया गया। (छाया प्रति संलग्न) कम्पनी द्वारा उपलब्ध नक्शा छाया प्रति संलग्न है

अतः उपरोक्त पत्र पर की गयी कार्यावाही आपकी सेवा में सादर प्रेषित है।

संलग्न:- यथोक्त।

भवदीय

मुख्य उद्यान अधिकारी  
हरिद्वार

पत्रांक 680 / तददिनोंकित।

प्रतिलिपि- श्री नरेश कुमार, सह सचिव, भारतमाता अभिनन्दन संगठन, उत्तराखण्ड, बहादुराबाद हरिद्वार को सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य उद्यान अधिकारी  
हरिद्वार

प्रभारी उद्यान सचल हल केन्द्र - बहादुराबाद  
कार्यालय फांका / पातन जांच / 2023-24 दिनांक 22-6-2023

सेवा में

मुख्य उद्यान अधिकारी - हरिद्वार

विषय: श्रीकायती प्राचीनका के परिपेक्ष जांच रिपोर्ट प्रेषण बाबत

महोदय,

वरीष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार फांका श्री. प्र०/स.स.स.पी.ओ. की नं०- 18/22 (HC/CM) दिनांक 12.4.2023 के परिपेक्ष एवं आपके कार्यालय फांका 361/पातन जांच दिनांक 27-5-2023 के परिपालन में श्री आर.पी. जसोला ज्येष्ठ निरीक्षक उद्यान एवं पवन चौहान प्रधान निरीक्षक स्वयं ने दिनांक 16/6/23 को श्रीकायती स्थल सदारा ड्राईया लि० खसरा सं० 316, 317, 318 का मौके पर जाकर स्थलीय निरीक्षण किया जिसमें जांच द्वारा निम्न सूचनाएँ प्राप्त हुई:-

- (i) उपरोक्त आंकित खसरा संख्या में जो वृक्ष काटे गये थे उनके परिपेक्ष में उद्यान अधिकारी हरिद्वार द्वारा प्रति आम वृक्ष आधीकतम् जुमाना 5000/- प्रति वृक्ष आदेशित कर धनराश्री राजस्व के रूप में कम्पनी द्वारा उका करायी गयी थी जिसकी रसीद संलग्न है (83 वृक्ष X 5000 = 415000/-)
- (ii) वर्तमान में खसरे का कुछ अंश प्रवाली है, बाकी में प्लॉटिंग (Plotting) की जा रही है जिसके परिपेक्ष में कम्पनी द्वारा आधीकृत दस्तावेज लगे उपलब्ध कराया गया है जो इस रिपोर्ट के साथ संलग्न हैं।

(आर.पी. जसोला)  
ज्येष्ठ निरीक्षक उद्यान

प्रभारी  
उ०स०द०केन्द्र  
बहादुराबाद

10/07/2023  
30/06/2023

100ए0नी0-2

## उद्यान एवं खाद्य प्रसारण विभाग, उत्तराखण्ड

पुस्तक संख्या \_\_\_\_\_ कीश रसीद नुमा  
 रसीद संख्या 074718 दिनांक 06/05/2022  
 सी/नो 100ए0नी0-2 निवासी F-102, लक्ष्मीपार्क, तांगलोड इलाका से रु 415000/-  
 (शब्दों में) मोजा स्थित बंदाइरानी इलाका में प्राप्त हुई।

क्र० सं०	देची गयी वस्तुओं/किये गये काम का वर्णन	परिमाण	धनराशि		प्रपंजी (Ledger) पृष्ठ
			मूल्य दर	रु० पै०	
01	श्री 0. स्लैब का फलदार पेड़ के कारण लगे गये डबल को (CHO के कोड सं० 267 दिनांक 06.05.2022 के क्रम में)	इतना ही जमा	₹	415000/-	
	योग रु०	(चार लाख पच्चीस हजार मात्र)	₹	415000/-	

प्रतिहस्ताक्षरित  
 बुद्ध उद्यान अधिकारी  
 प्रमोद/कार्यालयाध्यक्ष

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर  
 मुहर सहित।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 1 उद्यान/104-5-7-2011-5.000 बुक्स (कम्प्यूटर/ऑफसेट)।

## कार्यालय मुख्य उद्यान अधिकारी हरिद्वार।

पत्रांक 361 / पातन जांच/2023-24/

दिनांक

27 मई, 2023


- 1- श्री आर0पी0जसोला,  
ज्ये0उ0निरी0, उ0स0द0केन्द्र, रुडकी।
- 2- श्री पवन चौहान,  
उ0निरी0, उ0स0द0केन्द्र, बहादराबाद।

विषय:- शिकायती प्रार्थनापत्र की जांच के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद हरिद्वार के पत्रांक शि0प्र0/एस0एस0पी0/ओ0बी0नं0- 18/22(HC/CM) दिनांक 12.04.2023 शिकायतकर्ता श्री नरेश कुमार, सहसचिव भारतमाता अभिनन्दन संगठन, उत्तराखण्ड बहादराबाद, हरिद्वार द्वारा प्रेषित शिकायती प्रार्थनापत्र दिनांक 25.05.202 से सम्बन्धित है। जो कि जिलाधिकारी हरिद्वार के पत्रांक 274/CC दिनांक 24.05.2023 के माध्यम से इस कार्यालय को दिनांक 25.05.2023 को प्राप्त हुआ है, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि सहारा इण्डिया लि0 मुम्बई की ग्राम व मौजा बहादराबाद तहसील व जिला हरिद्वार में लगभग 500 बीघा जमीन निकट रघुनाथ मॉल एन0एच0 58(334) बाईपास से लगी हुई है जो खसरा नं0 316,317,318 मौजा बहादराबाद में स्थित है, दिनांक 05.04.2022 को उक्त कंपनी ने 50 पेड पर दवाई डालकर हरे भरे आम के पेडों को सुखा दिया तथा उनमें से 30 पेड आम के दिनांक 22.04.22 व 23.04.22 को रात में काट दिये तथा जे0सी0बी0 से जड उखाड कर उस स्थान पर जुताई कर दी ताकि निशानदेही मिट जाये, यह स्थान बहादराबाद थाने से 150मीटर की दूरी पर स्थित है। हरे फलदार आम के पेडों को काटने में थाना बहादराबाद, वनाधिकारी हरिद्वार, उद्यान अधिकारी की सांठ गांठ से पेड काटे जा रहे हैं तथा हरे पेडों की लकड़ियां कलियर शरीफ चिरान मशीन में बेचा जा रहा है।

अतः उक्त शिकायत के क्रम आपको निर्देशित किया जाता है कि आप स्थलीय निरीक्षण / जांच कर आख्या इस कार्यालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्न- शिकायती प्रार्थनापत्र मूल में।

  
मुख्य उद्यान अधिकारी  
हरिद्वार  
OK

पत्रांक 361 / दिनांकित

प्रतिलिपि:- 1- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, हरिद्वार की सेवा में उनके उक्त पत्र के क्रम में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

2- जिलाधिकारी, हरिद्वार की सेवा में उक्तानुसार सादर सूचनार्थ प्रेषित।

  
मुख्य उद्यान अधिकारी  
हरिद्वार  
OK

क. प्र. (पा.क.)  
 सु. अ. क. क.  
 24.5.23

जॉच हेतु

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद हरिद्वार ।

पत्रांक-शि0प्र0/एस0एस0पी0/ओ0बी0नं0-

18/22 /  
 (HC/cm)

दिनांक-12/4/23

सेवा में,

जिलाधिकारी  
 जनपद-हरिद्वार

अवगत कराना है कि आवेदक-जेश कुमार सह सविता भारती माता  
 क्षमिन्स संगठन, इन्टर एन एड क्लब राबाद हरिद्वार  
 दिनांक-25/5/22 द्वारा प्रेषित शिकायती प्रार्थना-पत्र जॉच कराये जाने विषयक प्राप्त हुआ है।  
 उक्त शिकायती प्रार्थना-पत्र की जॉच क्षेत्राधिकारी/को0/थाना क्लब राबाद  
 जनपद हरिद्वार, ने अपनी जॉच आख्या के माध्यम से अवगत कराया है कि उक्त शिकायती  
 प्रार्थना-पत्र का सम्बन्ध राजस्व विभाग से है।

अतः उक्त शिकायती प्रार्थना-पत्र इस आशय से आपको प्रेषित किया जा रहा है कि आप  
 सम्बन्धित प्रकरण में अपने स्तर से जॉच/आवश्यक कार्यवाही करने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित कर  
 बाद जॉच कृत कार्यवाही, से आवेदक को व इस कार्यालय को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: मूल प्रार्थना-पत्र यथोपरि।

कुल-05 बर्क

कृते वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक  
 जनपद हरिद्वार

संख्या 274/CC दिनांक 24-5-23

सेवा में,

DFO, जिला इन्स ऑफिसरी  
 (H)

कृ0 आ0 का0 करें। कृत कार्यवाही से प्रार्थी  
 एवं कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

प्रभारी अधिकारी (पिकायत)  
 कृते जिलाधिकारी हरिद्वार

कार्यालय क्षेत्राधिकारी ज्वालापुर, जनपद हरिद्वार।

पत्रांक:- सीओजे-जांच-शि0प्र0-29/2022  
दिनांक: अक्टूबर, ०४, 2022।

सेवा में,

पुलिस उपमहानिरीक्षक/  
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,  
जनपद हरिद्वार।

महोदय,

कृपया अपने पत्रांक: शि0प्र0/एसएसपी/जांच/एचसी/सीएम-ओ0बी0नं0-18/2022 दिनांक 25.05.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जो आवेदक श्री नरेश कुमार, सह सचिव, भारतमाता अभिन्नदन संगठन, उत्तराखण्ड, बहादुराबाद, जनपद हरिद्वार द्वारा प्रेषित शिकायती प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में जांच कर आख्या उपलब्ध कराये जाने विषयक है।

सन्दर्भ- पत्रांक: शि0प्र0/एसएसपी/एचसी-सीएम-ओबीन-18/2022 दिनांक 25.05.2022।

प्रार्थना पत्र प्राप्ति का दिनांक- 25.05.2022।

प्रार्थना पत्र में निस्तारण हेतु पृष्ठांकित समयावधि- 07 दिवस।

आवेदक का नाम व पता:- श्री नरेश कुमार, सह सचिव, भारतमाता अभिन्नदन संगठन, उत्तराखण्ड, बहादुराबाद, जनपद हरिद्वार।

विपक्षी का नाम व पता- उद्यान एवं वन विभाग जनपद हरिद्वार।

आरोप का सक्षिप्त विवरण- विपक्षी विभाग की साठ-गांठ में पेड़ों का काटा जाना।

जांच अधिकारी का नाम व पद-सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी ज्वालापुर जनपद हरिद्वार।

दस्तावेजी/अभिलेखीय साक्ष्य अथवा अन्य साक्ष्य यदि कोई हो- थानाध्यक्ष बहादुराबाद, जनपद हरिद्वार से प्राप्त आख्या की छायाप्रति।

जांच का विवरण/निष्कर्ष:-

जांच/जानकारी एवं थानाध्यक्ष बहादुराबाद, जनपद हरिद्वार के माध्यम से प्राप्त आख्या का अवलोकन करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये हैं कि थाना बहादुराबाद क्षेत्रांतर्गत सहारा इण्डिया लि0 की भूमि पर लगे 50 फलदार पेड़ों को दवाई डालकर सुखाकर काटने के सम्बन्ध में आवेदक श्री नरेश कुमार, सह सचिव, भारतमाता अभिन्नदन संगठन, उत्तराखण्ड, बहादुराबाद, जनपद हरिद्वार व संलग्न प्रार्थना पत्र में अंकित आवेदक श्री सुनील कुमार चौहान, भारतमाता अभिन्नदन संगठन, उत्तराखण्ड, बहादुराबाद, जनपद हरिद्वार द्वारा उद्यान विभाग के ए0डी0ओ0 श्री मासूम अली एवं वन विभाग के विरुद्ध आरोप अंकित किये गये हैं। प्रकरण अन्य विभाग से सम्बन्धित है, जिसमें सम्बन्धित विभाग से जांच कराया जाना समीचीन प्रतीत होता है। अतः उक्त प्रार्थना पत्र में वर्तमान समय में अन्य किसी पुलिस कार्रवाही की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

अतः आख्या मय मूल संलग्नकों के अवलोकनार्थ हेतु सेवा में सादर प्रेषित है।

संलग्नक: यथोपरि।

*Teena*  
( रेखा यादव )  
सहायक पुलिस अधीक्षक/  
क्षेत्राधिकारी ज्वालापुर,  
जनपद हरिद्वार।

रिपोर्ट घाना बहादुराबाद हरिद्वार

सेवा में,

श्रीमान डी.आई.जी./एस.एस.पी. महोदय,

जनपद- हरिद्वार उतराखंड।

विषय- शिकायती प्रार्थना-पत्र शि.प्र./ए.एस. पी./ पी.एच. क्यू./OBN/684/22 दिनांक 16/05/2022 के सन्दर्भ में रिपोर्ट/ जाँच आख्या।

आवेदक- मुनिल कुमार चौहान निवासी- भारत माता अभिनन्दन संगठन बहादुराबाद हरिद्वार उतराखंड।

प्रतिवादि- उद्यान प्रभारी श्री मासूम अली बहादुराबाद।

शिकायत- उद्यान विभाग के अधिकारी द्वारा रिश्वत ले कर पैडो को कटाना आदि।

जाँच आख्या/ रिपोर्ट- महोदय, उक्त प्रार्थना-पत्र कि जाँच मुद्द उ.नि. द्वारा कि गयी है। आवेदक द्वारा उद्यान विभाग के A.D.O. श्री मासूम अली पर गम्भीर आरोप लगाये गये है। महोदय उक्त मामला उद्यान विभाग से सम्बन्धीत है। जिसकी जाँच सम्बन्धीत विभाग से करायी जानी न्यायहीत में सही होगा। अतः उक्त प्रार्थना-पत्र कि जाँच सम्बन्धीत विभाग से करायी जाय। अन्य कोई पुलिस कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

रिपोर्ट सादर सेवा में प्रेषित है।

उ.नि./ चौकी प्रभारी

आनन्द मेहरा

चौकी- बाजार  
थाना- बहादुराबाद।

श्रीमान जी  
अग्रसारित है।

धन्येश्वर  
बहादुराबाद  
जनपद-हरिद्वार  
15/9/22

मुख्यमंत्री कार्यालय, उत्तराखण्ड  
दिल्ली-110002

दिनांक 25.4.22

श्री एस.एस.सन्धू जी  
मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड सरकार देहरादून।

वरिष्ठ सचिव हाजीर

सन्दर्भ :- पत्रांक / दिनांक 21.04.2022 का अवलोकन करें।

(ने.के.रिता चौधरी)  
अनु.सचिव, मुख्यमंत्री  
कार्यालय

विषय :- सहारा इण्डिया लि० मुम्बई के ग्राम बहादुराबाद हरिद्वार में फलदार आम के 30 पेड़ काटने  
विषयक  
महोदय,

203-सांघ-शिमला-29/2022

निवेदन है कि सहारा इण्डिया लि. मुम्बई की ग्राम व मौजा बहादुराबाद, तहसील व जिला हरिद्वार में लगभग 500 बीघे के जमीन निकट रघुनाथ मॉल एन.एच. 58 (334) बाईपास से लगी हुई है जो खसरा नं० 316, 317, 318 मौजा बहादुराबाद में स्थित है, दिनांक 05.04.2022 को उक्त कम्पनी ने 50 पेड़ पर दवाई डालकर हरे भरे आम के पेड़ों को सुखा दिया तथा उनमें से 30 पेड़ आम के दिनांक 22.04.2022 व 23.04.2022 को रात में काट दिये तभी जे.बी.सी. से जड़ उखाड़ कर उस स्थान पर जुताई कर दी ताकि निशानदेही मिट जाये, यह स्थान बहादुराबाद थाने से 150 मीटर की दूरी पर स्थित है, हरे फलदार आम को काटने में थाना बहादुराबाद, वनाधिकारी हरिद्वारन, उद्यान अधिकारी की साठ-गाठ से पेड़ काटे जा रहे हैं तथा हरे आम के पेड़ों की लकड़िया कलियार शरीफ चिरान मशीन में बेचा जा रहा

8/1/2022 मेहर

जांच कर आख्या 03

इस में प्रेषित करें। अतः निवेदन है कि मौके पर जाकर इसकी जांच एस.आई.टी. उत्तराखण्ड सतर्कता विभाग/

सी.बी.आई. से कराकर थाना बहादुराबाद उद्यान विभाग व वन विभाग हरिद्वार के खिलाफ कठोर

कार्यवाही करने की कृपा करें।

थाना बहादुराबाद

जिला हरिद्वार

25/4/22

दिनांक-25-4-22

पत्रांक 210/2022/SSP/जांच  
OBM...J.B. दिनांक 25/4/22  
दू० जांच कर कार्यवाही की आख्या  
दिवस में उपलब्ध कराये।  
शिक्षण प्रमोड  
कार्य० व०प०अधी०हरिद्वार

निवेदक

(NK)

नरेश कुमार

सह सचिव

भारतमाता अभिनन्दन संगठन, उत्तराखण्ड  
बहादुराबाद हरिद्वार

प्रतिलिपि :-

1. श्री पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून।
2. प्रमुख वन संरक्षक, हॉफ वन अनुभाग-3 देहरादून।
3. पुलिस महानिदेशक, देहरादून।
4. पी.एम.ओ. नई दिल्ली
5. वन एवं पर्यावरण मन्त्रालय नई दिल्ली
6. पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड सतर्कता विभाग, देहरादून।
7. पुलिस अधिकारी, सी.बी.आई, देहरादून।
8. दैनिक अमर उजाला, देहरादून।
9. दैनिक नवभारत टाइम्स, देहरादून।

26/4/22

जांच कर आख्या 03 निम्न के अनुसार  
उपरोक्त कारवाही सुनिश्चित करें।

26/5

दिनांक : 21.4.22

श्रीमान मुख्य सचिव,  
उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून।

विषय : सहारा इण्डिया लि० ने ग्राम-बहादुराबाद तहसील व जिला हरिद्वार में आम के बाग में पेड़ सुखाने वाली दवा/तेजाब द्वारा 50 पेड़ों को सुखाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

निवेदन है कि सहारा इण्डिया लि० ने ग्राम बहादुराबाद, तहसील व जिला हरिद्वार के लगभग 500 बीघे जमीन वर्ष 2005 में खरीद ली गई जिसमें अधिकांश में बाग, आम के पेड़ खेड़े हैं। सहारा इण्डिया लि० कम्पनी ने बाग आम को समाप्त करने तथा वहां पर रेजीडेन्शियल कालोनी के लिए बाग आम के 50 पेड़ों को जो खसरा नं० 316, 317, 318, 319 व 320 में दर्ज हैं को दवाई डालकर सुखा दिया है जिस पर ब्लाक बहादुराबाद के उद्यान प्रभारी मासूम अली ने घूस लेकर मामले को रफा-दफा कर दिया है। इसी प्रकार वन विभाग बहादुराबाद हरिद्वार ने इस पर कोई भी कार्यवाही नहीं की है।

अतः निवेदन है कि उक्त खसरा नम्बरों को अवलोकन कर सहारा इण्डिया लि०, उद्यान विभाग, वन विभाग पर उचित कार्यवाही करने की कृपा करें।

धन्यवाद !

प्रतिलिपि :

1. माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, हरिद्वार
3. सचिव, वन देहरादून।
4. मुख्य वन संरक्षक, देहरादून।
5. वन अधिकारी हरिद्वार
6. मुख्य उद्यान अधिकारी, रोशनाबाद, हरिद्वार

प्रार्थी

(सुनील कुमार चौहान)

भारत माता अभिनन्दन संगठन

उत्तराखण्ड, बहादुराबाद

# कार्यालय उप वन संरक्षक, हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार।

दूरभाष/फैक्स 01334 226271,

email : dfo\_hardwar@rediffmail.com

पत्र संख्या:- 4742 / 21-5 हरिद्वार दिनांक : 29/05/2023

सेवा में,

जिला उधान अधिकारी  
हरिद्वार।

विषय :-  
संदर्भ:

सहारा इण्डिया लि० मुम्बई के ग्राम बहादुराबाद हरिद्वार में आम के 30 वृक्ष काटने के सम्बन्ध में।  
प्रभारी अधिकारी, (शिकायत)/ कृते जिलाधिकारी, हरिद्वार का मूल पत्रांक 274, दिनांक 24.05.2023

उपरोक्त विषयक शिकायत पत्र जो श्री नरेश कुमार सह सचिव द्वारा मुख्य सचिव देहरादून को सम्बोधित कर लिखा गया है, उक्त शिकायत पत्र की जांच आख्या संदर्भित पत्र के माध्यम से इस कार्यालय को प्राप्त हुई है। जांच आख्या के अनुसार आम फलदार वृक्षों के सूखाने/काटने का मामला से सम्बन्धित शिकायत है, के क्रम में अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड शासन वन एवं पर्यावरण अनुभाग-3 के आदेश संख्या-927/X-3-2012/21(08)2010, दिनांक 30 नवम्बर 2012 से फलदार वृक्षों के पातन हेतु जिला उधान अधिकारी प्राधिकृत है।

अतः विषयक शिकायत पत्र मय संलग्नकों सहित मूल संलग्न कर इस आशय से प्रेषित कि प्रकरण की जांच कर जांच आख्या सम्बन्धित विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न: उपरोक्तानुसार

*(मयंक शेखर झा)*

(मयंक शेखर झा)

उप वन संरक्षक,

हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार

पत्रांक 4742/ तददिनांकित।

प्रतिलिपि: प्रभारी अधिकारी, (शिकायत), कृते जिलाधिकारी, हरिद्वार को उनके मूल पत्रांक 274/दिनांक 24.05.2024 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

*(मयंक शेखर झा)*

(मयंक शेखर झा)

उप वन संरक्षक,

हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार

जॉच हेतु

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद हरिद्वार ।

पत्रांक-शि0प्र0/एस0एस0पी0/ओ0बी0नं0-

18/22

दिनांक-12/4/23

सेवा में,

जिलाधिकारी  
जनपद-हरिद्वार

(HC/cm)

अवगत कराना है कि आवेदक जयेश कुमार सह सचिव भारत माता  
सामिजन्य संगठन इतर एव 05 कहरावाक हरिद्वार  
दिनांक-25/5/22 द्वारा प्रेषित शिकायती प्रार्थना-पत्र जॉच कराये जाने विषयक प्राप्त हुआ है।  
उक्त शिकायती प्रार्थना-पत्र की जॉच क्षेत्राधिकारी/ को0/थाना कहरावाक  
.....जनपद हरिद्वार, ने अपनी जॉच आख्या के माध्यम से अवगत कराया है कि उक्त शिकायती  
प्रार्थना-पत्र का सम्बन्ध राजस्व विभाग से है।

अतः उक्त शिकायती प्रार्थना-पत्र इस आशय से आपको प्रेषित किया जा रहा है कि आप  
सम्बन्धित प्रकरण में अपने स्तर से जॉच/आवश्यक कार्यवाही करने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित कर  
बाद जॉच कृत कार्यवाही, से आवेदक को व इस कार्यालय को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

प्रभारी जिलाधिकारी हरिद्वार

पजीकृत सं

8200

पत्रावली सं

215

दिनांक

26/05/23

संलग्नक: मूल प्रार्थना-पत्र यथोपरि।

कुल-05 वर्क

कृते वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक  
जनपद हरिद्वार

संख्या 274/CC दिनांक 24-5-23

सेवा में,

TFO, जिला उद्यान अधिकारी  
(H)कृ0 आ0 का0 करें। कृत कार्यवाही से प्रार्थी  
एवं कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।प्रभारी अधिकारी (शिकायत)  
कृते जिलाधिकारी हरिद्वार

28

TC  
3/1/14  
26/05/23  
44

कार्यालय क्षेत्राधिकारी ज्वालापुर, जनपद हरिद्वार।

पत्रांक:- सीओजे-जांच-शि0प्र0-29/2022  
दिनांक: अक्टूबर, 08, 2022।

सेवा में,  
पुलिस उपमहानिरीक्षक/  
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,  
जनपद हरिद्वार।

महोदय,

कृपया अपने पत्रांक: शि0प्र0/एसएसपी/जांच/एचसी/सीएम-ओ0बी0नं0-18/2022 दिनांक 25.05.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जो आवेदक श्री नरेश कुमार, सह सचिव, भारतमाता अभिन्नदन संगठन, उत्तराखण्ड, बहादुराबाद, जनपद हरिद्वार द्वारा प्रेषित शिकायती प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में जांच कर आख्या उपलब्ध कराये जाने विषयक है।

सन्दर्भ- पत्रांक: शि0प्र0/एसएसपी/एचसी-सीएम-ओ0बी0नं0-18/2022 दिनांक 25.05.2022।

प्रार्थना पत्र प्राप्ति का दिनांक- 25.05.2022।

प्रार्थना पत्र में निस्तारण हेतु पृष्ठांकित समयावधि- 07 दिवस।

आवेदक का नाम व पता:- श्री नरेश कुमार, सह सचिव, भारतमाता अभिन्नदन संगठन, उत्तराखण्ड, बहादुराबाद, जनपद हरिद्वार।

विपक्षी का नाम व पता- उद्यान एवं वन विभाग जनपद हरिद्वार।

आरोप का सक्षिप्त विवरण- विपक्षी विभाग की साठ-गांठ में पेड़ों का काटा जाना।

जांच अधिकारी का नाम व पद-सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी ज्वालापुर जनपद हरिद्वार।

दस्तावेजी/अभिलेखीय साक्ष्य अथवा अन्य साक्ष्य यदि कोई हो- थानाध्यक्ष बहादुराबाद, जनपद हरिद्वार से प्राप्त आख्या की छायाप्रति।

जांच का विवरण/निष्कर्ष:-

जांच/जानकारी एवं थानाध्यक्ष बहादुराबाद, जनपद हरिद्वार के माध्यम से प्राप्त आख्या का अवलोकन करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये हैं कि थाना बहादुराबाद क्षेत्रांतर्गत सहारा इण्डिया लि0 की भूमि पर लगे 50 फलदार पेड़ों को दवाई डालकर सुखाकर काटने के सम्बन्ध में आवेदक श्री नरेश कुमार, सह सचिव, भारतमाता अभिन्नदन संगठन, उत्तराखण्ड, बहादुराबाद, जनपद हरिद्वार व संलग्न प्रार्थना पत्र में अंकित आवेदक श्री सुनील कुमार चौहान, भारतमाता अभिन्नदन संगठन, उत्तराखण्ड, बहादुराबाद, जनपद हरिद्वार द्वारा उद्यान विभाग के ए0डी0ओ0 श्री मासूम अली एवं वन विभाग के विरुद्ध आरोप अंकित किये गये है। प्रकरण अन्य विभाग से सम्बन्धित है, जिसमें सम्बन्धित विभाग से जांच कराया जाना समीचीन प्रतीत होता है। अतः उक्त प्रार्थना पत्र में वर्तमान समय में अन्य किसी पुलिस कार्रवाही की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

अतः आख्या मय मूल संलग्नकों के अवलोकनार्थ हेतु सेवा में सादर प्रेषित है।

संलग्नक: यथोपरि।

*Texas*

( रेखा यादव )

सहायक पुलिस अधीक्षक/  
क्षेत्राधिकारी ज्वालापुर,  
जनपद हरिद्वार।

